as much oneness and unity as was displayed this time Congratulations go to the leaders of the Opposition who showed great farsightedness and a very great patriotic approach to the problems that arose and a great spirit of accommodation

12 Hrs

Also, the greatest credit goes to the Prime Minister and her colleagues During all this time, she was all the time responding to the wishes of the Opposition She rose above everything else and she showed, in an hour of crisis, great patriotism

I can also express our sense of gratitude to our armed forces the jawans As a matter of fact, the armed forces, the jawans the Mukti Bahini, the Members of Parliament, the public—they all showed oneness and unity at this hour of crisis and our thanks, gratitude and congratulations go to them

Thank you very much

SHRI B P MAURYA We thank you also

MR SPEAKER I am one of you I do not exclude myself I was telling Mr Chavan the other day I was addressing a meeting of students, and one student rose up and asked me, "What is the difference between a Minister and the Speaker ?" I said, inside the House, the Speaker is Speaker, and a Minister is just an MP Outside the House, the Speaker is an MP, and a Minister is a Minister. So, all of us are MPs first and then anything else

I thank you very much

DISCUSSION *RE* STATEMENT ON REPORTED KILLING OF SANTHALS IN PURNEA DISTRICT OF BIHAR

MR SPEAKER We now take up the next item I am very happy that we are able to have some time to have a discussion on this This is an important subject for discussion So much brutality and killing of the santhals I am very happy that we found time for this

12 03½ hrs

[MR DEPUTY SPEAKER *IN THE CHAIR*]

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) Sir I must thank the hon Minister of Parliamentary Affairs for having given me this opportunity for discussing this important subject and I am also grateful to the speaker who was so much moved by the photographs that I showed him I want to bring this matter to the House, only because I feel very strongly about these things and I want to say that atrocities of this nature should never happen in India again as they are derogatory to our tradition to our high position in the comity of nations

The House is seized of these inhuman, brutal, heinous and ghastly atrocities that have been perpetrated on the santhal tribe of Purnea district The Minister has, on the 29th November, 1971 given a statement, but I think it is far from being complete That is the reason why I feel very happy to be in a position to bring home to this house a vivid picture of what, how and why this has happened.

This House is aware that in the Fourth Lok Sabha we had been discussing the atrocities against the Scheduled Castes, burning of small children and boys, attacking marriage parties of Scheduled Castes, rape cases against members of the Scheduled Castes and Tribes, in short, weaker sections of the people This is nothing new. But this has far surpassed all the previous

atrocities and I should say it is unprecedented in the history of the Lok Sabha

The incident goes back to 1953 In the same village of Rupaspur, District Purnea two persons Lakhan Murnu and Somra Murnu were trailed out by one of the men of the landlord who asked them to escort him to his house, they did so but they never returned back Police reports say that there was no clue to trace the culprits and the matter ended There may be many things which had not seen the light of the day It is one such thing But that should have been the last not to be repeated again

Three or four days later the dead bodies of these men were found in a river Trouble started right from that day This type of atrocities is happening in tribal areas all over India and they are mainly due to the land reform problems We have promised land reforms to the people we have not been able to sort them out That is the crux of the problem A similar problem arose in this village a week before the 22nd November, 1971 where the people of the landlord complained to the authorities that the santhals were cutting the crops, but when they went to the site they found it was not so Perhaps it was just the other way They had themselves cut and tried to implicate the Santhals The BDO and SDO went to the site and settled the issue of Sikmia right distribution in the proportion of 10 30, that is the scheme The zamindar gets 10 and the tiller gets 30

About five days before the date of this occurrence, on the 17th of November, the Deputy Superintendent of Police accompanied by some of the men of landlords, perhaps they were his confidants, Ramadhar Singh, Pradyumna Narain Singh, son of the Dr Lakshmi Narain Sudhansu, the former Speaker of the Bihar Legislative Assembly, Hari Singh a nephew of Dr Sidhansu and others went to the village and wanted the tribals to be brought to Alka Kothi, the residence of Dr L N Sidhansu, about a furlong away from the place of occurrence, Rupaspur Santhal Tola These people went to the village and brought two Santhals to the road When they were brought to the road the women of that village flocked together and they were reminded of what happened in 1953 and therefore, forcibly they snatched those two santhals back and this perhaps might have wounded the feelings of the DSP or other people So, they were waiting for an opportunity

I went there on the 7th December, 1971 to know all about these things How did the trouble start? I can understand if it had been Sikmi right land where they could have had some ground for contention about the distribution, but the trouble arose in a tiny piece of land to which the Kandan Murmu, had legal title Therefore, the question of there being any dispute about tenancy rights is purely an intentional provocation

On 22nd November-1971 the people of these landlords harvested the land of one Kandan Murmu, but because it belonged to him he said that he should go along with a few people and ask them not to do so They went there, but these people were large in number, and there were exchange of words, hot and cold, from both sides, and because these people were only five or six, they returned to the village

After a few minutes at about 3 30 P M. about 150 people with a few hired gangsters, armed with bows, arrows, lathis, all types of lethal weapons, assembled near the house of Dr. Lakshminarain Sindhansu. That house is on the side of the road, as I have already said, only

[Shri Kartik Oraon]

about a furlong away from the place of occurrence. They started moving along that road, some on foot and others on cycles, but everbody armed, with jeeps, station wagons, tractors and trailors particularly meant for taking away the dead bodies. They moved to the place of occurrence, and then started firing.

When the tribals saw these people coming in large numbers, they all went inside their houses, and these people bolted the doors from outside. They could not get out. Then they set fire to all the houses on the road on the left-hand side, and when the smoke started curling up, the tribals were getting suffocated. They wanted to come out. One or two people came out. One was shot dead at about 125 yards dragged and brought to the tractor trailer waiting for the dead body, and he was bundled there. Another they shot at a distance of about 25 yards, dragged him also to the tractor trailer. I went and saw how exactly the paddy fields were very nicely carved and routes were made by the dragging of the dead body. I could see the blood stains there. They were brought over the distance and dumped in the tractor trailer.

Then again, another four of them were shot dead, they were brought and dumped again in the tractor trailer. Four others were caught alive. Their hands and legs were tied with their dressing apparel, they made them naked, dragged them alive to these trailers, and they were later killed.

This is not the end of it. I cannot imagine how the human mind could stoop to commit such grave atrocities. Three unmarried young girls, and one married young girl, were stripped naked inside the house before they set fire to the house, raped them and afterwards they pushed them outside. They were naked, they ran about half a mile from the house and then they were shot at.

This is the story of this Rupaspur village which has the proud privilege of having a brilliant product like Dr. Lakshminarain Sudhansu, a very scholarly person and a very well-reputed person. But that is what he did. Those people who could not escape were roasted alive in the fire, four of them. I have got the photographs here. I can tell you that when I showed the photographs to the Hon. Speaker, I could clearly see that he was very much moved with sorrow. I could see the sorrow in his eyes. If you permit me, I would like to place the photographs on the Table of the House. [*Pleaced in Library. see* No. LT-1368/71]

Mr. DEPUTY-SPEAKER: You carry on with your speech. I will tell you.

SHRI KARTIK ORAON: They were roasted alive. Of the ten dead, 9 were males and one was a woman. Out of the four roasted alive, I was male and three were women. There were 34 injured persons, maimed, crippled and rendered helpless for life—some of them. They include children from the ages of 2 to 12 and among many others an old woman of 81.

Mr. DEPUTY SPEAKER: You may hand over the photograph to me. We shall examine them and later on when a decision is taken, it will be treated as having been laid on the Table. In the meanwhile I do not want the attention of the members to be diverted by looking at the photographs. Let them listen to your speech.

श्री शम्भु नाथ (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना अहम सवाल चल रहा है, यों तो डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता था कि सरकार की तरफ से इन के अलावा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री पंत जी या मिर्धा जी या स्वयं प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थित होतीं और उन के सामने इस तरह की दर्दनाक कहानी कही जाती, तब उस का ज्यादा महत्व होता ।

MR.. DEPUTY-SPEAKER : Your wishes will be conveyed to them.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME Affairs (SHRI F. H. MOHSIM) : I do admit it is a serious incident. But Mr. Pant is busy in the Rajya Sabha. Otherwise, he would have been present here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, they are aware of it.

SHRI KARTIK ORAON : On the 7th December, when I went there, I could see the ravage on the walls outside, and inside the house, and there were innumerable marks of gun-shot pellets and blood stains at various places. A few women with babies in their arms told me the horrowing tales. Their husbands, mothers or brothers had either been killed or injured and as to how ten dead bodies were later removed to River Kosi, 25 miles away, in that trailer. I am sure even Yahya Khan would have been mortified by this.

After setting fire to one village, they moved to another village close-by about 150 yards away, again a Santhal village. They said: जय काली, संथाललोगों को मारो । They attacked that village, set fire to it and shot them indiscriminately. This is called universal malice. If this sort of thing is not seriously taken note of by the great leaders of the country, by every Member of Parliament and by every citizen of this country, I am sure we are living in a different age.

I have already mentioned that this so-called disputed land was not really a land under dispute. Kandan Murmu had the legal title and there was hardly any ground for any contention. It was a pure case of land grab.

The posting of officers was so systematically planned that all belonged to the community of Dr. Lakshmi Narain Sudansu. Shri Shiv Balak Singh was the DSP; he was popularly known as Lathi Singh. Shri Ram Paras Singh was the Inspector. Shri Nagendra Nath Singh was the ASI. Except for Mohammed Naim Akhtar, sub-inspector and Kameshwar Prasad Singh, another sub-inspector, all the rest belonged to the same community. This Ram Paras Singh, the Inspector, had been in Purnea and in this area for about six years and then very recently he was transferred to Nawada on account of a charge of having acquired 60 to 70 acres of land in Raniganj area, which is disproportionate to his income. They were all lands in which the adivasis had Sikmi right. At the instance of influential people in the government, Shri Ram Paras Singh was transferred back from Nawada after a couple of months as a CID inspector. Later on, he was brought to the general line and posted at the Dhamdaha police station where this Rupaspur village is.

There were armed forces posted at the residence of Dr. Lakshmi Narayan Sudhansu but this force was removed from there and stationed at Mirganj, about a mile and a half from the place of occurrence. This removal took place about a couple of days before the date of occurrence.

It is very important to note that on the day of the occurrence, on the 22nd November, nearly all officials were out of the headquarters except the Additional S.P. and SDO. The District Magistrate was out to Katihar. The SP was at Purnea. The DSP, Lathi Singh, met him at 2 p.m. and discussed with him the Ladhugarh murder case which took place on 21-11-71, the previous day. It appears the SP advised him to go to Ladhugarh by 3 p.m. and that he would go later. The DSP, instead of going to Ladhugarh, left for Dhandaha, the police station of the place of occurrence,

[Shri Kartik Oraon]

It is said that he stayed at Kosi rest house, stayed there for the night and left in the morning of 23.11.71 for Ladhugarh without recording his stay in the register. The chaprasi confirmed this to DIG and Commissioner Bhagalpur Division. The SP reached Ladhugarh on the 23rd November. The DSP also reached there later on the same day. I do not know what the hell the DSP was doing in the night. Perhaps he informed the SP that there was a case of arson in Rupaspur.

The inspector had been to Forhasganj for arrest of a notorious absconding dacoit along with ASP (Bhagalpur). The Sub-Inspector met the DSP after the incident at the police station with Hari Singh the accused. The ASI, Shri Kameshwar Prasad Singh was directed by the DSP to go to Bardela about three miles from Dhandaha and return on 23.11.71. When the DSP was there at the police station, at about 5.15 p.m. Hari Singh, the accused lodged a complaint of arson against the zamindars by Santhals for which there is the station diary.

Again, another accused, Shri Ramdhar Singh, also lodged a complaint at about 8 P.M. on the same night that Santhals had set fire to his house and that they came with bows and arrows. They had fired them in self-defence. It is said that Shri Shiv Balak Singh, DSP, who is popularly known as "lathi" Singh, along with a few constables, went to the place of occurrence that very night and instead of sending the report to the District Headquarters at Purnea, he left for Ladhugarh next morning. No information was received at the district Headquarters on 22.11.71.

What is surprising is that the armed forces who were stationed about a mile and a half away from where they could hear the noise of the gun-shots and also the flames of fire coming up, but they did not hear any noise and did not intervene. The District Headquarters were informed of the atrocities at 3 P.M. on 23rd November. It is about 20 miles away. The information could have been communicated to the District Headquarters within half an hour of the incident in the very evening, before 6 or 7 O' Clock on the day of occurrence.

After hearing these things, the Additional Superintendent of Police rushed to the place of occurrence. The Santhals were so panicky that they would not let anybody come near them. It was only fortunate that the Additional Superintendent of Police happened to be a tribal. But he also had a tough time to convince them that he would not harm them. They would not come near him. Finally, he showed them a mark—we do have a mark; I do not know whether in Meghalayayou have a mark—saying, "Look here, I am your man." Then, they said, "All right." So, they took him into confidence. They told him the entire story as to how the dead bodies were carried from the place of occurrence to the Kosi river near Kursela and how they were wrapped in shrubs, bundled in gunny bags and taken to the river side.

Then, the A.S.P., Purnea with the A.S.I. of Potheya and a few social workers, followed the trace of a tractor and they moved up and down the river, and at about 5 A.M., they found one dead body floating over the water. The river Kosi is known for its havoc and every Bihari knows it. But you will be surprised to know that the gravity of the incident was so great that the river Kosi refused to swallow them.

This is not the end of it. These people had well-planned fabricated designs of defence. They wanted to prepare a defence and they wanted to show that their houses were burnt by Santhals. I saw that personally. They fixed one arrow over a tree and another arrow over a house.

You also might be knowing how an arrow goes like. It will never be perpendicular to the tree or to the house unless it is simply pitched.

Then, from the so-called disputed land to the place of occurrence they had dropped grains of paddy on either side of the footpath in a systematic manner. They wanted to show that the Santhals had harvested the paddy and taken it away. These are the things. We have not been wise enough to make all these grievances and defences. But as the course of events take place in life, today the law also appears to follow the path of riches. That is why my purpose of raising this discussion is this: "Let the seats of justice in this country be filled with all good men but not so good as to forget the frailties of human nature."

Then we can perhaps bring our country upto the expectation of our Prime Minister under whose dynamic leadership we have definitely been able to put this country in the map of the world in such a brilliant way that nobody can miss it.

I would like to drive home to you that there is a lot of bigshots involved in it and what I am afraid of is that there should not be sale and purchase of justice. That is what I am afraid of. I am reminded of a crime prevalent in America which is called "white collar crime". "It is a crime in the sense of a breach of the established criminal law by which the criminals go scot free because they are rich and powerful and so they can bribe the police or sometimes, the judges or sometimes they can bring political influence to bear to secure their immunity". That still holds in our country and I hope it will be eradicated as early as possible.

From what I have depicted, I am sure you will be able to understand that there has been a complete failure of administration and a dereliction of duty. If really a person is adjudged guilty of dereliction of duty, he is also equally responsible for the murder and he can be readily charged with manslaughter.

I would like to say and I do not want to throw any aspersion on anybody because perhaps it is still at the investigation stage. Some say that Dr. Lakshmi Narayan Sudhansu was present at the place of occurrence. Others say he was not.

However, Dr. Sudhansu is so powerful a person that not even a leaf of a tree will flutter without his express permission. I am sure of that. He did not make a statement condemning the incident. But his first duty was to intimate the District headquarters of the atrocities but, instead of doing that, he was going to Patna via Purnea but when somebody on the way told him that the incident, was known to everybody in Purnea, he returned back from Mirganj and went to Patna by another route.

What I am trying to say is that while judging the culprit, we have to take into consideration that here there are three of the four accomplices in the criminal law. No. 1 is the principal in the first degree. By the principal in the first degree we mean the actual offender, the man in whose guilty mind lay the latest blamable mental cause of the criminal act. Then comes the principal in the second degree. He is one by whom the actual perpetrator of the felony is aided and abetted at the very time when it is committed. Then comes the accessory before the fact who procures or advises one or more of the principals to commit the felony. We want that these three categories of the offenders who have had active participation in this crime should be roped in and severely punished. And a deterrent punishment ought to be given so that it remains a lesson for all times to come. This should be the guideline for

[Shri Kartik Oraon]

establishment of law and order in this country. This is here that I feel that law must come in and take its own course. Everybody has his birthright to have his own opinion but, nobody has a right to be wrong in relation to facts. That is a vital fact and nobody can afford to be wrong unless there is sale and purchase of justice.

Sir, you have been very patient, and I do not want to take up much time of the House. I hope some result will come out of this discussion. All this trouble in the tribal area is due to lack of proper land reforms and this is a must which we should do. Our Government, under the benign and dynamic leadership of our Prime Minister can twist the arms of any Chief Minister, she can say, do this or get out. I don't want this to be considered as a State subject. Mr. Pant the other day said—'This is a State subject'. It is a subject of national importance. It is happening not only in Bihar but it is happening in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat, everywhere. It is no longer a State subject. This is a serious matter of national importance. Therefore, let not Mr. Pant say that it is a State subject. Let us be bold enough to face this situation squarely.

We learn that investigation is going on and about 46 people had been arrested by the 12th December. I don't know how many more people are involved in this and some have been left out and other arrested have been granted bail. I would like to make a request to Government. I don't have to request the Prime Minister, because it is too much and she is too big a person for this. I request the Government that this matter should be entrusted to the Central Bureau of Investigation for immediate investigation and report. The Central Bureau of Investigation should do their duty. Only in this way, truth will come out and wrong-doers will be punished and right people rewarded.

I heard that in U.P., and Haryana they have sorted out the problems of land reforms. In some cases they have given compensation, in some cases not. My suggestion is this. The State Government or rather the Chief Minister of Bihar should be directed to issue an ordinance straightway, tomorrow...

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): Direct him to resign; no ordinance. They must quit.

SHRI KARTIK ORAON: ..asking them to convert these *pattadari* rights or Sikmi rights into Kaimi legal rights. Legal rights should be given to the tillers, to the cultivators. If he cannot do so, then he should get out of office.

I really feel very grateful for the indulgence that you have shown to me and I thank you very much for the same.

I hope Government will take a serious view and hon. Members will take a serious view and see that condign and heavy punishment is given to the offenders.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a...

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): It is a serious matter, and I would suggest that an all-party committee...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order. The The hon. Member may resume his seat. I am on my legs now. What he says will not go on record.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER:**

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a very shocking and ghastly story that Shri Kartik Oraon has told us and it is not surprising if hon. Members are worked up over it.

**Not recorded.

Therefore, I would like to have the sense of the House in regard to how much time they would like to devote to this discussion. In the list before me, there are as many as 17 hon. Members who have given their names for speaking. There should be some limit somewhere. And most of them are from the Congress Party. I think that there should be some sort of balance between the Opposition and the Congress. But even so, some amount of time should be allotted so that the time can be apportioned properly to each hon. Member. According to the programme, we should rise by one O'clock, but I expect that we may have to sit beyond that. I shall be guided by the sense of the House.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Let it be a two-hour discussion.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Kartik Oraon himself has taken more than 40 minutes.

SOME HON. MEMBERS : We may sit up to 2 p.m.

MR. DEPUTY SPEAKER : All right, we shall sit up to two O'clock.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : Sir, you yourself have realised that the incident that took place on 22nd November in a village in Purnea district in Bihar was very serious one. Shri Kartik Oraon has expressed his earnest desire that this kind of incidents should be stopped, and he has asked the Prime Minister to take steps to promulgate an ordinance tomorrow so that the landless people may get the land. He has also propagated the idea here that the tillers of land should be the owners of the land. But I may tell my hon. friend emphatically that so long as this Congress rule is there, this thing will never take place that the real tillers of the land will become owners of the land. If that had been done, then these incidents would not have taken place. In fact, this is not the only incident that has perturbed our friends on the other side from the ruling party. This is just one in a series of incidents that have taken place throughout the country. I do not know whether my hon. friends remember what happened in 1968 in Tamil Nadu State. The Members of my party had brought up that issue before the House. That was also an incident of the same nature. There also, the agricultural workers were put to the same tyranny and heinous crime.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan) : 42 Harijans were killed and were burnt alive.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Their houses also were burnt. But what happened after that?

SHRI K. S. CHAVDA : Only one house in which 42 Harijans were taking shelter was burnt.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: My hon. friends opposite professes. that the reactionaries had been driven out of the Congress during the elections, and Shrimati Indira Gandhi has now taken the pledge that poverty will be eradicated and the poor people will get justice.

The place where this incident took place in Bihar is the place from which the Chief Minister Shri Bhola Paswan comes. How can we show our face before the world when even after 24 years of monopoly Congress rule throughout the country, the poor people have not got even the protection of their lives?

In broad daylight, 150 persons with swords and firearms chased the poor villagers, the Santhals, and raped their girls and killed them. Not satisfied with that, they burnt their houses. The Santhals were burnt alive inside their houses.

[Shri Dinen Bhattacharyya]

The statement of the Minister on 29th November says that so far the report they have received indicates such and such. May I ask what is the final report they have got? What action have they taken against that bloody zamindar who led this gang of murderers to rape the Santhal girls and women and who burnt the houses of the Santhals? You will be astonished to know that they are still roaming about free because the police officers there are the kith and kin of the zamindars. They are in league with the moneybags, the big zamindars. So how can they take action against these murderers and gangsters who are looting the country? That is the crux of the whole matter. Until and unless the Congress rulers actually implement what they preach, there will be no solution. Simply by professing that they will remove poverty they will not be able to remove poverty.

श्री के० एस० चावडा : अब ये कहते हैं कि खाली खाली हटायेंगे।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: They will not do it because they really represent the monopolists. Some friends opposite were saying: 'If you do not do this, peasants will one day rise and like a wave sweep you away.' That is the crux of the matter. The land problem is the main thing. That is why unless the land policy is thoroughly changed and there is a reform effected in the interest of the peasantry, until there is a real revolution in that respect, you cannot avoid repetition of this incident.

In the land of Shrimati Indira Gandhi, in UP, in a village, the same thing happened. Some people carried on a reign of terror in that village. The police fantastically came forward with a statement that the villagers attacked them. What is the reason? There also the question of share croppers, the land question comes. After that incident, the villagers had to flee. They took shelter elsewhere. But they were not left alone. They were chased in the presence of the District Magistrate and the SP. It is reported that five people were killed. It is a most heinous thing that inside the police lockup an agricultural labourer was killed. I do not know how the Minister will react to this incident. But these are the incidents taking place.

What happened this morning? Dr. Saradish Roy and another MP of the CPI came with statements that they were man-handled by the police. Mr. Speaker sent it for getting information to the Ministry. The Minister treated the report of the police as sacrosanct. In that report, the police find fault with the member. The Minister never finds fault with the police officer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing a particular incident now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: This is not an isolated incident.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If we enlarge the question to a discussion of police behaviour, we go far beyond the scope.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: We should go; you may agree or not.

The land question is a very vital question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is such a thing as relevancy in a discussion.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Is it not relevant?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing a particular incident at a particular place against a particular tribe. If the other things are referred to, then it is enlarging the scope far beyond. Moreover, if you go into all that, then the main thing that we are discussing about will be lost.

sight of. Over and above that, I am limited by time. I will give five minutes. Try to conclude.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : I will finish now. What I was saying to our friends on the other side is that they should consider the related issues here.

SHRI R. D. BHANDARE : On this issue, there are no sides.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Of course; but may I ask, what further measures have been taken ? On the 29th November, 1971, the Minister made a statement. May I ask that hon. Member what the Government have done up to this time to see that the culprits are punished ? This is taking place in West Bengal also. I am sorry to mention this. The other day, we four MPs made a representation to the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri K.C. Pant, regarding the cases of some sharecroppers who have been arrested and detained under the Maintenance of Internal Security Act because the fault is that the sharecroppers are exercising their right on their land which they themselves reaped and which they themselves tilled ! The zamindars and jotedars are denying them their rights. The only fault of the sharecroppers is that they insist on their right to get their share. The zamindars and jotedars went to the police and the police who are always in league with the zamindars and jotedars came and said, "you have resorted to violence and so you must be put under arrest". But there was no case. So, what could they do ? The only weapon in the hands of the Government is the Maintenance of Internal Security Act, and under that measure, they put them in jail; the sharecroppers now suffer in the jail.

I will humbly appeal to the Minister through you. Of course, the Minister will profess something but in practice, they will not do anything. This is the policy of the Government. In order to find out the remedy, you have to go deep into the matter, namely the question of land. You cannot solve these things unless the land problem is solved. If that is solved, the other things can be stopped. But in order to do that, you have to throw out the Congress Government. Otherwise, there is no future for the country:

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, this is a serious matter, I would, therefore, like to say that there should be an all-party Parliamentary Enquiry Committee which should go into the matter and report on it as early as possible. It is a very serious matter. (*Interruption*).

MR. DEPUTY SPEAKER : Order, please. I have allowed you out of turn. I would only request hon. Members to confine their remarks to five minutes. Already there are 19 speakers. I do not know how I am going to accommodate them all if at all it is possible.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, what has happened in Rupaspur village in the Purnea district of Bihar is a matter of shame. It is a matter of shame for the members of the upper classes that we cannot give protection to the weaker sections of society. It is a matter of shame for the State Government which has failed to give protection to the weaker section. It is a matter of shame for the whole nation including the Central Government that even in this 20th century, such ghastly atrocities and heinous crimes are being committed on our soil. This is going to ruin our development and the fair name of our country in the comity of nations. Therefore, it is a very serious matter and the House as well as the Government should not take it lightly.

[Shri P K Gosh]

Sir, my hon friend has said that these troubles arose out of land disputes I should say, yes, land dispute is one of the causes, but there have been such incidents due to other causes also We have found in other parts of India that due to the fact that some Harijan went to the well of a caste Hindu to draw water he was murdered We know of cases where because a caste Hindu girl was married to a Harijan, he was killed It is not only land disputes, there are other things I and disputes do not assume such to a huge magnitude Some people are injured and in remote cases one or two murders take place

But here it has been an organised war on one community by the majority community, by caste Hindus who claim to be educated elite The Constitution does give protection to the Scheduled Castes and Tribes This violation of the Constitution has been going on every day in this country This is not a solitary instance Such instance have taken place in Andhra, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh and where not ?

Therefore we should not say that it is a matter of law and order for the State Governments Government of India should take note of it and see that such barbarous activities are stopped In the end, I want to say that our Prime Minister is a pioneer and a great champion of the interests of the downtrodden as against the strong ones, it had been demonstrated in Bangla Desh She had also brought in the Constitution Amendments for removal of disparities between the rich and poor It is time that she gave her attention to this problem and I know that she will do so certainly if the matter is placed before her in proper perspective and I am sure that she will take all possible steps to see that this barbarous atrocities are brought to an end

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह पूर्णिया जिले में जो घटना हुई है उसके संबंध में बोलते हुए मैं उन बातों की ओर नहीं जाऊंगा जिनकी हमारे मित्र कार्तिक उरांव जी ने चर्चा कर दी है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अस्पष्ट रह गई हैं। यह कहा जाता है कि इस में दो पक्षों में विवाद के चलते यह लड़ाई हुई। मेरा निवेदन यह है कि उस संबंध में कोई तकरार नहीं था कोई विवाद नहीं था, कोई मुकाबिला नहीं था। यह योजना बना कर इसलिए ऐसा किया गया कि बस्ती को जला दो जो लोग नहीं भागते हैं उनकी हत्या कर दो और बाकी लोगों को भगा दो जब यह लोग नहीं रहेंगे तो फिर जिनके नाम में जमीन है, 100 प्रतिशत जिनके नाम कानूनी हक कागजों पर है उनको हटा कर उस पर अपना कब्जा कर लो। ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तानी सरकार ने बंगला देश में किया है हूबहू वही बात यहां है। वहां कोई विवाद की बात नहीं थी, कोई गाली गलौज की बात नहीं थी। कोई सामना करने आया हो ऐसी बात भी नहीं थी। उन को घेर कर, आग लगा कर जो भी निकला उस को गोली दाग दी। यह सब क्षणिक गुस्से से नहीं किया गया बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस को किया गया। एक व्यक्ति ने नहीं किया पूरे गिरोह ने किया। उस के पहले एक सभा हुई थी, जिस में योजना तैयार किया गया।

13 hrs

दूसरा पहलू है—वहां के पुलिस अफसर और बी० डी० ओ० ने उन के साथ मिल कर इस में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि हम आर्म्ड-फोर्सेज को यहां से हटा लेते हैं उस के बाद पूरा कांड खत्म कर दीजिये, लाश लापता कर दीजिये। दो दिन पहले आर्म्ड फोर्सेज वहां से हटा ली गई और उस के बाद यह घटना हुई और लाशों को पटुआ की संठी में पानी डन्ठल से बांध कर कोसी में डाल दिया गया। 20 मील दूर एक किसान ने देखा कि डन्ठल बहती हुई आ रही है उस ने सोचा कि जलाने के काम आयेगी, वह उसको नदी से निकाल लाया। जब उस को खोला तो देखा कि उस में लाश है। दूसरे को खोला तो उस में भी लाश थी, वह घबरा कर घर भाग आया थाने

में पहुंचा और इस तरह से 14 लाशें मिलीं। जिस सुबूत को पुलिस अफसरों ने गायब करा दिया था उस को कोसी की धारा ने ऊपर कर दिया, गायब नहीं होने दिया। इस लिए यह कोई अचानक घटना नहीं है।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है --पूर्णिया में आनन्द मार्गवालों का सम्मेलन हो रहा था। आनन्द मार्ग वालों के सम्मेलन से हमें जो सूचना मिली है --अभी एक मित्र ने सी० बी० आई० की बात कही थी-- इन्हीं के एक अवधूत ने इस में गवाही दी कि श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पुत्र वहां था ही नहीं। वह तो मेरे साथ पूर्णिया में था और इस पर पुलिस ने उस को ही जमानत दे दी। 20-20 आदमियों को मारने का मामला हो, दफ़ा 302 में मास मर्डर का मामला हो, पुलिस जमानत ले-ले, मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी-- यह कहां तक न्यायसंगत है। उस अवधूत की गवाही पर, जो उस दल का था जिन के घरों में नर-मुण्ड पाये गये, हथियार और बम पाये गये, उस की गवाही पर उस को छोड़ दिया गया। हमें तो यह भी खबर मिली है कि पूर्णिया से कुछ हथियारवाले पेशेवर लोग बुलाये गये थे, जो आनन्द मार्ग के थे और उन्होंने यह कत्ले-आम किया-यह एक जांचनेवाला पहलू है।

इतना ही नहीं हुआ-यह--घटना 22 नवम्बर को हुई, जिस की वजह से पूर्णिया के सभी लोगों में बड़ा रोष था, सभी को गुस्सा था। हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सैक्रेटरी श्री मोहन शर्मा वहां पर गये, उन्होंने लोगों को ढाढस बंधाई, उन को शान्त करने की कोशिश की। उस के बाद 28 नवम्बर को श्री मोहन शर्मा के घर पर हमला हुआ। इस को कुछ पहले से खबर मिल गई थी, उन्होंने बी० डी० ओ० से जा कर कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन बी० डी० ओ० ने विश्वास नहीं किया। जब उन के मकान पर हमला हुआ और वे लोग उन की लाश को जीप में लाद कर ले जा रहे थे, बी० डी० ओ० वहां पहुंच गये और उन को रोका। पांच जीप और आठ बन्दूकें पकड़ी गईं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक तरह से पूरी फौज उन को मारने के लिए भेजी गई थी, बी० डी० ओ० ने देखा कि अभी उनकी सांस चल रही है। उन को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अगर वह समय पर नहीं पहुंचे होते तो श्रीमोहन शर्मा मर गये होते, अभी भी वह अस्पताल में हैं। यह घटना 28 नवम्बर को हुई, इस में श्री हसीबुर्रहमान, अहमदिया स्टेटवालों का भी हाथ था जो मिनिस्टर रह चुके हैं। वे भी कई हजार एकड़ के मालिक हैं। यह पार्टी का सवाल नहीं है भूस्वामी किसी भी पार्टी में हो, अगर वह कानून तोड़ता है, इस तरह की हत्यायें करता है तो उस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, अभी बिहार के किसी मित्र ने कहा कि यह मसला जमीन का है, इस के सिवाय उस का कोई आधार नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह मसला ऊंची और नीची जातियों का है एक कंगाल हरिजन क्या जगजीवन राम जी के मकान पर हमला कर देगा.....

श्री शम्भुनाथ (सैदपुर): यह कहना सत्य नहीं है। लैंड के अलावा और भी प्राबलम्ज़ हैं।

श्री भोगेन्द्र झा: इसी लिये मैं कहता हूं कि यह जो तथाकथित ऊंची जाति हैं, जो जमीन के मालिक बने हुए हैं, उन के अन्दर ही अत्याचार करने की क्षमता है। गरीब क्या अत्याचार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने इलाके से आ रहा हूं--मेरे पूरे क्षेत्र में दफ़ा 144 लगी हुई है, पांच आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन सरकार कैसे हत्यायें करवाती है, उस को देखिये-- एस० डी० ओ० ने आर्डर दिया कि है कि पूरे मधुबनी क्षेत्र में दफ़ा 144 लगी रहेगी। क्यों लगी रहेगी--इस लिये कि जमींदारों और बटाईदारों में विवाद है। अगर दोनों में विवाद हो तो दफ़ा एक पक्ष पर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उस आर्डर में कहा गया है कि सरकारी अफसर जो ड्यूटी पर हैं, लैंड-लार्डस और उन के आदमी, उन पर यह दफ़ा लागू नहीं रहेगी। इस का नतीजा क्या हुआ-- मधुबनी के बिशनपुर गांव में एसिसटेंट एस० पी० व्यक्तिगत रूप में पहुंचे और बटाईदार को गाली दे कर कहा कि तुम तो मोटा हो गये हो और उन्होंने वहां पर मास-रेप करवाया। मैं इस हालत में हूं कि उस घटना को पाप के सामने कह भी नहीं पा रहा हूं।

[श्री भोगेन्द्र झा]

से 36 महिलायें आज भी वहां जेल में बन्द हैं, जिन में 13 महिलायें ऐसी हैं जिन की गोदी में तीन साल तक के बच्चे हैं। उन को जमानत नहीं दी जा रही है। मैं जब मास-रप की बात कर रहा हूं तो यह भी बताना चाहता हूं कि वहां कोई आवारागर्दी नहीं चलती थी, जिस में इन को पकड़ा जाता। बल्कि यह कहा गया कि ये लोग इस तरह से नहीं मानेंगे, इन को जेल में बन्द कर दो, अपने आप सीधे हो जायेंगे--इस तरह के काम वहां पर दिन दहाड़े हो रहे हैं।

आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां के लोग जमींदार के अत्याचार का इस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, वे नपुंसक नहीं हैं उन को शान्त करने में हमें कितनी कठिनाई आई होगी। मैं उन से कह कर आया हूं कि बदला न लो, इन पापियों के खून से अपनी मां की भूमि को अपवित्र न करो यह प्लेज उन से लेकर मैं आया हूं। यह मास-रप मधुआपुर के दीशन-पुर गांव में और मधुबनी के बरहरा गांव में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों में मेरे क्षेत्र में अनेकों हत्यायें हुई हैं। अभी हाल में जीवन मुखिया जो हमारे एक साथी थे, पाखाना जा रहे थे, उन को गोली मार दी गई। जब यह बात साबित भी हो गई और उन के पिता नालिश करने के लिए गये तो उनको गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया। मैं अभी उन से मिल कर आया हूं। उन की नालिश नहीं लिखी गई, उल्टा जमींदार की नालिश लिख कर उनको घर लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अकेले दरभंगा जिले में 12 हत्यायें हुई हैं। चम्पारन तो हमारे बिहार में और ज्यादा सगीन हो चुका है, 50 से ऊपर हत्यायें वहां पर हो ही चुकी हैं, किसानों और कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्यायें हुई हैं और छुट-पुट हत्यायें तो इन से अलग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश शान्तिपूर्वक आगे बढ़े, खून खराबी का जवाब खून-खराबी से न हो। लेकिन जब ऐसी चीजों में राजनीति जुड़ जाती है तो हमें उन का निदान निकालना होगा। ऐसी स्थिति में आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसे नालिश करने गया तो उलटा उस को ही गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरह का राज वहां पर खुले-आम चल रहा है। वहां के एस० डी० ओ०, सेकण्ड आफिसर, डी० सी० एल० आर०, एसिस्टेंट एस० पी० सब इस में शामिल हैं। मेरे सामने एसिस्टेंट एस० पी० ने कहा कि काश्तकारी कानून लागू करना मेरा जिम्मा नहीं है, इस लिये मैं जमींदारी को प्रोटेक्शन दूंगा जो दस्तावेज लेकर हमारे सामने नहीं आयेगा, उस का जमीन का हक हम नहीं मानेंगे, इस तरह से खुले आम वहां पर लूट की जा रही है। बिहार का लडखडाता हुआ जो मंत्री मंडल है, उस ने एक अध्यादेश केन्द्रीय सरकार को भेजा था, जिस को केन्द्रीय सरकार ने रोक रखा है। हालांकि वह बहुत ही सीमित है, लेकिन उस को भी वहां पर रोक कर रखा हुआ है।

मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे सभी मित्र चाहते हैं कि कानून का अमल हो लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक भी गांव बिहार का नहीं है जिसका कोई मिनिस्टर हो या एम० पी० हो और वहां पर काश्तकारी कानून का खुला उल्लंघन जमींदार न करते हों। अभी हमारे मित्रों ने कहा कि चार हिस्से में तीन हिस्सा बटाईदार का और एक हिस्सा मालिक का लेकिन पूर्णिया को छोड़ कर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर यह लागू होता हो। काश्तकारी कानून में यह है कि जो बटाईदार जोतता है वह बेदखल नहीं किया जायगा बिना कचहरी के आर्डर के लेकिन एक भी भूस्वामी ऐसा नहीं है जो कि खुले आम इसका उल्लंघन न करता हो। काश्तकारी कानून की दफा 71 में है कि मालिक फसल पर दखल नहीं दे सकते हैं लेकिन एक भी मालिक ऐसा नहीं है जोकि अपने खलिहान में फसल न मंगा लेता हो। इस प्रकार से एक भी गांव नहीं है जहां पर ला ब्रेकर के रूप में जमींदारों का लबका काम न कर रहा हो। आज न्यायालयों में जो जज बैठे हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस अफसर हैं वह जमींदार खानदान के हैं और मुझे माफ किया जाये जो राजनीतिज्ञ हैं, उनमें भी जो बड़े भूस्वामी हैं वह भी इस में शामिल हैं इस तरह से यह अत्याचार हो रहा है। मुझे खतरा है अगर इसी प्रकार के कुकृत्य और बलात्कार होता रहा तो क्या हम इस मुल्क में भी शान्ति कायम नहीं रख पायेंगे और देश बरबाद

सारा हिसाब वे चुकता करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका इलाज हो। मैं प्रार्थना करता कि एक सुझाव आया है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल वहां जाये और तीन चार जगहों की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। मैं आशा करता हूं बिहार की सरकार भी बाकायदा जांच करके उन लोगों को बड़ा से बड़ा दण्ड देगी।

*SHRI SAKTI KUMAR SARKAR (Joynagar): Mr. Deputy Speaker Sir, the tragedy that has taken place in the Purnea District of Bihar is perhaps unprecedented in the history of India. I do not have the words to express my indignation over this episode. This treatment of the Harijans and other down trodden people is a blot on us and should be deplored in the strongest language. If there is a recurrence of such incidents, I shudder to think what image of India will be portrayed before the world. Such incidents are not confined to Bihar alone. As already stated by the earlier speakers, there has been a spate of such incidents in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and many States. If it is said that such incidents are arising out of agitation for land reforms only then that will not give a complete and a true picture of the situation. Will the Harijans, the Adibasis and other down trodden people always have this sort of wretched existence? The situation obtaining in this regard may perhaps best be expressed in the words of a young Bengali poet who said, (I will translate that in English) "Oh! strange world salute, I salute thee! Kicking is the reward and that is the reward I got from the birth." This perhaps is their destiny!

The Government of Bihar should be put on the culprits dock. The D.S.P. and S.P. and the D.M. of that area should have been suspended forthwith. These ghastly atrocities should be condemned and this condemnation must echo in every corner of this House. What is the lot of the Harijans? They are begging for justice and as Tagore said, "I see that hidden violence to take tal' of innocents under the shade of hypocrisy, I see the mute voice of justice weeps alone in the wilderness, at the atrocity of the strongest who has nobody to challenge him." And that is our fate.

We have passed resolutions, we have set up Committees and Commissions and their reports have also been presented but, unfortunately none of the recommendations has been implemented so far, and that is our fate. Where should we lament over our misfortune? Fortunately our fate has today been entrusted in the hands of a great leader like Shrimati Indira Gandhi. The whole country is looking towards her for deliverance. She has come as a deliverer of justice to the downtrodden. The leadership that she has shown in the matter of the East Bengal problem is perhaps unparalleled in the annals of history. It remained the Uncle Tom's cabin and since the ghastly things are being repeated again and again and we cannot but be ashamed of this. We can only pray to God with the feelings of Tagore again, where he said, "Those who are polluting your air, and extinguishing your light, Oh Lord! Have you forgiven them and have you extended your love to them. Those who commit atrocities and those who tolerate them, let your hate befall them like the thunder." Where is the consolation and who will render it? I will only request our great leader, the Prime Minister to please see that such incidents are not allowed to recur and I will implore the Government to take such stringent measures to prevent such occurrences altogether and those culprits who are responsible for these incidents should be accorded the severest punishment. With this request, Sir, I conclude my speech.

*The Original speech was delivered in Bengali.

[Shri Sakti Kumar Sarkar]

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I can very well understand the deep and grave concern of all parties at the grim tragedy that has taken place. No words are adequate to describe one's sorrow.

It is not only this incident but, as the hon. Member who spoke just now reminded us, it is indeed distressing that such things should continue to happen in our country. I am fully with the House in their desire that everything possible must be done to see that such incidents do not recur.

My hon. friend, Shri Kartik Oraon, said that the Prime Minister is too high a person. Nobody is too high a person to deal with questions of injustice or of the sort of a crime that has taken place. This is a State subject and accordingly it is not easy for the Centre to interfere with these matters. However, some Members of the Opposition have written to me about it and I have replied saying that I will discuss with them what can be done in similar situations.

So far as this particular incident is concerned, Shri Mohsin will naturally reply. I only want to say that an inquiry is proceeding. So far as I know, it is going on all right. There is no complaint now. There were many complaints in the beginning. It is going on all right now. We are keeping in very close touch and, should it become necessary, the Centre can step in also. This type of crime must be condemned in the strongest possible words.

There are certain social attitudes still about which I have spoken many times in the House and which we need to change. There are actions which the Government can undertake but there is a great deal that we can do in order to arouse public opinion also. As the last speaker was saying, it is true, that those who are strong do get away with such wrong doings. It is only by creating a strong public opinion supported by governmental action that such matters can be dealt with.

This is all I wanted to say. I thought I would associate myself with the sentiments of deep sorrow and regret at this incident.

श्री विभूति मिश्र : मैं प्रधान मंत्री जी से प्रर्थना करूंगा कि वे किसी मिनिस्टर को वहां भेज कर स्थिति का ज्ञान करा लें । इससे वहां के लोगों को कुछ भरोसा भी हो जायेगा । वैसे बिहार की गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर रही है लेकिन आप भी अपने किसी मिनिस्टर-- पंतजी को या मिर्धा जी को वहां भेज दीजिए ।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : भेज देंगे ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I would request the Prime Minister—let there be an all-party Parliamentary Inquiry Committee to visit the place, inquire into the incident and report at an early date.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Dhan Shah Pradhan.

श्री धनशाह प्रधान (शहडोल): उपाध्यक्ष महोदय, श्री कार्तिक ओरांव जी ने यहां पर जिस शर्मनाक घटना का जिक्र किया जोकि हरिजन आदिवासियों के साथ घटित हुई मैं उसकी भर्त्सना करता हूं । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं यदि इस प्रकार के अत्याचार हमारे हरिजन आदिवासियों के साथ होते रहे तो भविष्य में शायद हमारे हरिजन और आदिवासी भाई अपने क्षेत्र में अपना गुट बनाने के लिए बाध्य हो जायेंगे ।

बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रान्तों में भी इस प्रकार के अत्याचार हरिजनों और आदिवासियों पर हो रहे हैं । आज ही मेरे पास एक पत्र आया है विन्ध्य क्षेत्र से । वहां राजनीति से प्रभावित हो कर राजनीतिक नेता, जो बडे नेता कहे जाते हैं,

उन्होंने गरीब आदिवासियों को घर से बाहर निकाल कर रख दिया है और उनके नाम की कुड़की लिए खड़े हुए हैं । इन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है । जो व्यापारी हैं वे व्यापार करते हुए भी हजारों सैकडों एकड़ जमीन दबाए हुए हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसे पूंजीपतियों से जिन्होंने जमीन दबा कर रखी हुई है, इस जमीन को छीन लिया जाए और उसको किसानों में, भूमिहीनों में और आदिवासियों आदि में बांट दिया जाए । संथालों पर जो अत्याचार हुए हैं, 22 तारीख को, वह हम आदिवासियों के लिए और सारे देश के लिए एक बहुत ही बडा कलंक का टीका था । मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह केवल बिहार प्रान्त की ही बात नहीं है, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रान्त में आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । इस बात को मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं । जब जब में बोलता हूं इस बात को दोहराता रहता हूं । मैं एक गरीब आदिवासी का लड़का हूं, मैं देखता आ रहा हूं कि आदिवासियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं । सरकार इनको रोकने के लिए प्रभावी कुछ भी नहीं कर रही है, उनके वास्ते कोई व्यवस्था नहीं कर रही है । खदानों में आप देखें, फैक्ट्रियों में आप देखें, आदिवासियों पर तथा पिछड़े हुए लोगों पर मनमाने अत्याचार होते हुए आपको दिखाई देंगे। उनको परेशान किया जा रहा है । दफ्तरों को आप देखें । बड़े बड़े विज्ञापन दिये जाते हैं कि यह सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है और वे अर्जियां भेजें । लेकिन होता यह है कि कोई कम या ज्यादा घूस दे देता है तो वह सीट दूसरे लोगों को दे दी जाती है । ये सब अनाचार उनके साथ हो रहे हैं ।

आपको याद होगा कि जिस प्रकार से सथालों के साथ यहां अत्याचार हुआ है, हत्याकाण्ड यहां हुआ है, उसी तरह से बस्तर में भी एक कांड हुआ था, बिलासपुर में मुंगेली में कांड हुआ था । इस प्रकार के कांड दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं । लेकिन सरकार इनकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है । में सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आदिवासियों आदि पर इसी प्रकार से अत्याचार होते रहे, उन में इसी प्रकार की बढोतरी होती रही तो उन लोगों को बाध्य होकर अपना अलग से गुट बनाना पडेगा और तब आपके लिए उसको रोकपाना कठिन हो जाएगा इस प्रकार के कांडों का घटित होना एक बहुत ही लज्जाजनक बात है । आदिवासियों और हरिजनों में जागृति आ रही है । उनको कुओं पर से अभी भी कहीं पानी भरने नहीं दिया जाता है, स्कूलों में प्रवेश तथा उनकी व्यवस्था आदि के मामलों को ले कर आदिवासियों आदि को सताया जाता है । शहडोल जिले से जो मुझे चिट्ठी आई है उस में यही कहा गया है कि उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया है और कुडकी करने के लिए वहां के लोग तैयार खड़े हैं । इलैक्शन के दौरान उनको कर्जे के रूप में पैसा तो दे दिया जाता है लेकिन बाद में कुड़की करने की नौबत ला कर उनके सामने खड़ी कर दी जाती है । पैसा वसूल करने के लिए उनके घर उनके बैल, उनकी गायें भैंसें, बकरियां नीलाम हो जाती हैं । आप याद रखें कि फिर चुनाव आ रहे हैं । क्या वे इसी तरह से मारे जायेंगे, इसी तरह से बिकेंगे ? मध्य प्रदेश बिहार उडीसा आदि कई प्रान्तों में यह चीज हो रही है । गांवों की क्या स्थिति है, लोग नंगे फिरते हैं, भूखे फिरते है । लडके वहां भीख मांगते हैं । एक दो या चार पैसे आप फेंक दें तो लड़के दौड कर उनको उठाते हैं । यह स्थिति गावों में आज भी विद्यमान है । आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, कोई अच्छी व्यवस्था आप करेंगे तभी जो समाजवादी ढांचा आप स्थापित करना चाहते हैं, उसकी स्थापना हो सकेगी । तभी समाजवाद की ओर यह देश अग्रसर हो सकेगा ।

श्री चन्द्र शैलानी (हाथरस): बिहार में पूर्णिया जिले में संथालों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुआ है, उनका कत्लेआम हुआ है, उस पर इस सदन में काफी रोशनी डाली गई है । यह इस देश में पहली घटना नहीं है । दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में इस तरह की घटनायें आए दिन घटती रहती हैं फिर चाहे वह बिहार का पूर्णिया जिला हो या राजस्थान का अलवर या जयपुर जिला हो या उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जिला हो या इलाहाबाद जिला हो । 24 साल की आजादी के बाद भी इस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अछूत, आदिवासी कहे जाने वाले लोग भी देश और समाज के अभिन्न अंग हैं वे भी देश के लिए हर तरह की कुर्बानी करते हैं।

[श्री चन्द शैलानी]

उनकी मेहनत और उनके खून पसीने की कमाई पर ही इस देश की बुनियाद खड़ी हुई है । उनके साथ इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार होना बहुत ही शर्मनाक है । खास तौर पर आज के प्रजातंत्रीय युग में जबकि संसार बहुत आगे बढ़ रहा है, इंसान भूमि को छोड़ कर चांद पर बसने की बात करता है, इस तरह की घटनाओं का घटित होना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा । ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोग सदियों से अछूतों और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार करते आ रहे हैं । उनके तौर तरीकों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है । इसके बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । सरकार के पास सी० आई० डी० है, सब कुछ है लेकिन फिर भी सरकार ने और उसके अधिकारियों ने किसी प्रकार की उन में दिलचस्पी नहीं ली है, उनकी रोकथाम करने की कोशिश नहीं की है, सरकारी अधिकारियों ने, ये कांड होते रहे और आंखों पर पट्टी बांधे रखा, जो अपराधी थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । अलीगढ़ जिले की बात मैं आपके सामने रखता हूं । वहां एक गांव है जिस का नाम बिसारा है । वहां पर मुर्दा मवेशियों को उठाने के सवाल को लेकर स्वर्ण जाति के लोगों ने शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया । यह वाका करीब दो साल पहले का है । उन लोगों का हर तरह से बहिष्कार किया गया, उनका तिरस्कार किया गया । वे कलेक्टर के पास गए, एस० पी० के पास गए, कलक्ट्री कचहरी पर उन्होंने भूख हड़ताल की लेकिन इस सब के बावजूद उनको कोई राहत नहीं मिली । मैं स्वयं जा कर जिलाधीश से एस० पी० से मिला लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई । इस प्रकार की घटनायें एक गांव में नहीं बल्कि देश में सभी स्थानों पर होती रहती हैं । सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिये ! ये अमानुषिक अत्याचार उन लोगों के साथ होते रहे हैं और हो रहे हैं जो इस देश के अभिन्न अंग हैं, समाज के अभिन्न अंग हैं । अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो सच्चे मानों में यह नहीं कहा जा सकेगा कि हम आजाद हैं । देश आजाद हुआ तभी माना जाएगा जबकि यहां के गरीब लोगों के साथ भी समानता का व्यवहार होगा । आज अछूतों, आदिवासियों आदि का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा दूसरे प्रकार का शोषण हो रहा है । इस में तबदीली आनी चाहिये । ऐसा नहीं होगा तो एक दिन आएगा जब इस समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए आन्दोलन करेंगे और इस देश में क्रान्ति भी हो सकती है । जब क्रान्ति होगी तो मैं समझता हूं कि उसको कोई रोक नहीं सकेगा । हिन्दुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान बना । अब बंगला देश भी बन गया है और वह भी आजाद हो गया है । पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने बंगला देश की निरीह जनता के साथ अत्याचार किए, उनका तरह-तरह से शोषण किया । नतीजा यह हुआ कि आज बंगला देश की जनता आजाद हुई और हमारे देश की वीरांगना श्रीमती इंदिरा गांधी ने शोषितों का साथ दिया । लेकिन अफसोस की बात है कि यहां पर हजारों वर्षों से अछूतों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ आज भी तरह-तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं और उनके प्रति कोई साफ्ट कार्नर नहीं दिखाया जाता है । ऐसी स्थिति यहां पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा न कर सकें ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि जमीन के झगड़े हैं, दूसरे झगड़े हैं जिन की वजह से उन के ऊपर अत्याचार होते हैं। इस मामले में मैं उन भाइयों के साथ किसी हद तक सहमत हूं । लेकिन मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि अछूतों और आदिवासियों का सब से बड़ा दोष यह है कि वे अछूतों और आदिवासियों के घरों में पैदा हुए हैं । यही उनका अपराध है और इसी अपराध का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है । पचास प्रतिशत अपराध इस देश में ऐसे होते हैं जो या तो पुलिस कराती है या पुलिस का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त रहता है । मैं चाहता हूं केन्द्र राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे ताकि पुलिस के दिमाग दुरुस्त हों और पुलिस इन अत्याचारों की रोकथाम करें, इन में वह दिलचस्पी ले और इस प्रकार देश में कानून और व्यवस्था कायम रह सके ।

SHRI BHALJIBHAI PARMAR : (Dohad) : I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on this subject.

Even after 24 years of Independence, we have not been able to stop such painful incidents happening in our country. As per the statement of the hon. Minister, the incident is quite deplorable and such atrocities should be condemned. The police officers concerned in this case seem to be quite unsympathetic in the present case, and they do not seem to be performing their duties faithfully. I would submit that the interests of the Adibasis should be duly protected. They are still lagging behind very much, socially, educationally and economically, and they are still not in line with the caste-Hindus.

It is now a matter of every-day occurrence that Adibasis and Harijans are harassed and proper protection is not given to them in time. The incident narrated by my hon. friend Shri Kartik Oraon is very painful.

I would suggest that Government may create a separate cell of the police force in every State to safeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Government should also be requested to have the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes discussed every year in order to see how far the safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are implemented properly. It is a matter of regret that no proper attention is paid by Government in this respect. in order to have the reports discussed every year in time. I would, therefore, request the Prime Minister who is also the Home Minister to safeguard the interests of the Adibasis and maintain law and order before the situation worsens. I would also suggest that the Prime Minister may come forward with a new slogan of '*Pichdaapan hatao*' among the Adibasis and Harijans and remove the disabilities prevailing among them.

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम बोलता हूं । जो अत्याचार हरिजन आदिवासियों पर होते हैं, वे कोई नयी बात नहीं है । इस के कुछ कारण हैं । हमारे यहां ग्रन्थों में लिखा है : "स्त्रीशूद्राः न अधीयताम्", अर्थात् स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए । जब तक ऐसे ग्रन्थ रहेंगे और उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा तब तक ये अत्याचार कैसे बन्द हो सकते हैं ? इसी प्रकार तुलसी कृत रामायण कहती है: "जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा", अर्थात छोटे वर्णों में भी तेली, कुम्हार, स्वपच, आदिवासी और कलवार अधम हैं । (व्यवधान)

हरिजन आदिवासियों पर जुल्म ग़रीबी के कारण भी होते हैं । परन्तु हमारे समाज में ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिन में लिखा है, "ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी", और "पूजिय विप्र शील गुण हीना नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना" । इन ग्रन्थों में ब्राह्मणों को पुजने का समर्थन किया गया है । इन ग्रन्थों को दियासिलाई दिखानी चाहिए, इन को फूंक देना चाहिए । जब तक ये ग्रन्थ रहेंगे, तब तक यह दिखाऊ काम होता रहेगा और बड़ी कौम के लोग हरिजन-आदिवासियों पर जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे । इन ग्रन्थों को दियासिलाई लगाने और फूंक देने से ही समाज का कल्याण होगा । (व्यवधान)

ग़रीबी भी इस का एक कारण है । जब तक इस देश में जमीन का बंटवारा नहीं होता है, सम्पति का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, तब तक इन वर्गों पर अत्याचार होते रहेंगे । हम यह भी देखते हैं कि ग़रीब से ग़रीब और अनपढ़ ब्राह्मण भी पलंग पर बैठता है और पढ़ा-लिखा हरिजन भी नीचे बैठता है । यह भी एक बहुत बडा अपराध है ।

मैं कोई हरिजन नहीं हूं । मैं भी स्वर्ण हूं । मैंने स्वयं यह सब कुछ भोगा है । मेरे परिवार के लोगों ने मुझे मेहतररानी की गोद में दे दिया था । मैं बचपन से ही हरिजनों का साथ देता रहा हूं और मैंने कभी छूतछात नहीं मानी है । जब मेरे यहां के बडे लोगों ने इस पर आपत्ति की, तो मैंने कहा कि मुझे जिन्दा रखने के लिए मेहतरानी की गोद में दे दिया गया था; मैं इन लोगों से घृणा कैसे कर सकता हूं । आज देश के गांव-गांव में हरिजन-आदिवासियों पर जुल्म होते हैं ।

[श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी]

कई ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, जो छुआछूत का विरोध नहीं करते हैं ।

यह कितने खेद की बात है कि सदन में इतने गम्भीर विषय पर बात हो रही है और सदस्य सैंट्रल हाल में बैठ कर चाय पी रहे हैं । यह हुकूमत हरिजनों और आदिवासियों के वोटों से बनो है, लेकिन वह हरिजनों के लिए केवल दिखाऊ काम करती है । अगर इन अत्याचारों को समाप्त न किया गया, तो यहां भी लोग बंगलादेश के लोगों की तरह उठेंगे । हम विद्रोह करेंगे और कोई न कोई हमारा साथ देगा । श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारा साथ देंगी । (व्यवधान)

जब तक देश में वर्ग विहीन समाज नहीं बनता है, जब तक देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्ग रहेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है ।

मैं तो इस को भी फिजूल समझता हूं कि एम० पीज० को पचास रुपये रोज दिये जाते हैं और वे यहां पर बहस करते हैं और प्रस्ताव पास करते हैं । वे अपने-अपने हल्कों में जा कर ग़रीबों की सेवा करें । यह राज्य ग़रीबी से बना है, लेकिन हर जगह ग़रीब पर जुल्म होता है ।

जब मैं जनसंध के टिकट पर खडा हुआ था, तो मुझे ब्राह्मणों और ठाकुरों ने वोट दिये थे । इस बारे एक ठाकुर मेरे मुकाबले में था और हरिजनों, चमारों, मेहतरों, धोबियों तथा बैकवर्ड लोगों ने मुझे वोट दिये और मैं 57 हज़ार वोटों से जीता । इन वर्गों ने ही मुझे जिताया । सारे देश में इन वर्गों ने कांग्रेस को वोट दिये । मैं खुली बात कहता हूं कि कम्युनिस्टों ने मेरा साथ दिया, चाहे वे बडे वर्ण के रहे हों । जब तक ये ग्रन्थ जला नहीं दिये जाते हैं और सम्पत्ति का राष्ट्रीय-करण नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ।

श्री भागीरथ भंवर (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय ओरांव जी ने पूर्णिया की एक दर्दनाक घटना यहां प्रस्तुत की है । उस के ऊपर यहां चर्चा हुई । अलग-अलग माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए । मैं समझता हूं कि देश में ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं और उस का कारण अलग-अलग लोगों ने बताया । मैं यह कहना चाहता हूं कि आदि-वासियों की और हरिजनों की जो समस्यायें हैं बुनियादी रूप से हैं उन के ऊपर न प्रान्तीय सरकारें सोचती हैं और न केन्द्रीय सरकार सोचती है । आज हरिजनों की हालत यह है कि छूआछूत के बारे में जो नियम बने हुए हैं उन का कहीं पालन नहीं होता । आज भी हरिजन महिलाएं किसी सार्वजनिक कुएं पर पानी नहीं भर सकती, अपने हाथों पावों में कोई गहने नहीं पहन सकती, कोई हरिजन घोडे पर बैठ कर निकल नहीं सकता । 25 साल की आजादी के बाद आज भी उन्हें आजादी का कोई लाभ नहीं मिला । तो मैं यह कहूंगा कि सब से पहले हरिजनों के संबंध में छूआछूत के मामले में जो कानून हैं उन का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए और उस के लिए जब तक कोई कड़ा कदम शासन की ओर से नहीं उठाया जायगा तब तक हरिजनों की हालत में सुधार नहीं होगा । हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कई कमीशन और कमेटियां बनी । केन्द्रीय सरकार की कमेटियां बनीं, प्रान्तीय सरकारों की कमेटियां बनीं, उन्होने रिपोर्ट दीं, उन पर बहस हुई, लेकिन अमली जामा उन्हें कहां तक पहनाया गया, यह किसी ने नहीं देखा । यह घटना केवल पूर्णिया जिले में ही नहीं घटी है, मध्य प्रदेश में भी एक मुंगली कांड हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, देश के कई भागों में ऐसे अत्याचार होते हैं । हरिजनों और आदिवासियों की महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं । उन के साथ अनेक घिनौने अत्याचार किए जाते हैं, उस के बाद भी न प्रान्तीय सरकार उस के लिए कुछ सोचती है न केन्द्रीय सरकार कुछ सोचती है । इस संबंध में भी अलग-अलग सदस्यों ने राय दी है । मैं भी यह कहना चाहूंगा कि पूर्णिया की घटना कोई घटना नहीं है, इस के मामले में एक संसदीय जांच कमेटी बनाई जाय और वह संसदीय समिति इस घटना की जांच करे । इस प्रकार की घटनाओं की पुनरा-वृत्ति आगे न हो इस के लिए सरकार को आश्वासन देना चाहिए और बताना चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करने जा रही है । यह नहीं कि जैसे माननीय पंत जी ने कह दिया कि यह प्रान्तीय सरकार का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रान्तीय सरकारों का नहीं, पूरे राष्ट्र का प्रश्न

है, पूरे राष्ट्र की समस्या है और जब राष्ट्र की समस्या बन कर उपस्थित होती है तो केन्द्रीय सरकार को सोचना पड़ेगा लोक सभा को सोचना पड़ेगा, देश की जो सर्वोपरि संस्था है उसको सोचना पड़ेगा। जब तक यह नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे और निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर एक संसदीय कमेटी बनाई जाय और वह इस की जांच करे।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I heard the heart-rending stories, painful stories, from the mouth of Shri Kartik Oraon as to what happened on the 29th November, regarding the reported killing of 14 santhals and injuries to 36 santhals.

Sir, this instance is bound to bring down the name of every individual of our country. These and such other instances are the daily occurrences so far as this country is concerned. Some of the instances have been reported, others do not see the light in the press or on the public platform. But these things go on happening day-in-and-day-out. Therefore, whenever we hear such heart-rending stories, to that extent, we raise a discussion. Our brothers go and visit such places in order to express their sympathy and sorrow. But this is really a social evil. This aspect of the matter has not been taken into consideration by the majority of the people.

Today two things have happened. The Prime Minister has assured us that whether one is low or high such incidents must be condemned; secondly, the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes has attended this discussion and is sitting in the gallery. I think these are the two happy auguries. But this is a social evil and drastic antiseptic measures should be taken for eradication of this social evil. Even if you, or for that matter the whole House devises certain antiseptic measures the question will be who is to implement such measures? After all those who commit crimes are judges. In this case, I should like to ask the hon. Deputy Minister of Home Affairs whether the officials who were responsible or connived at these things had been suspended or not? I am raising this question because to eradicate this anti-social evil we must adopt two types of programmes: short-term and long-term. It is all right for my hon. friend the elderly Sadhu to say that all religious books should be burnt, he did not say that those who teach the teachings of the Vedas and other religious books should also be burnt. It is good that he did not go to that extent.

As a short term measure, there ought to be a central authority, a central cell specifically and specially to look after the interests and protection of the Scheduled Castes and Tribes, in the Central Government and its branches must be spread all over the country. If anything wrong is done to the Scheduled Tribes or Scheduled Castes the nerve centre or the branch must bring it to the notice of the Central cell and the Centre must take such measures which are befitting or necessary to the occasion.

Regarding long-term policies, so long as the social conscience of the whole nation, of the people of this country is not roused to the highest pitch against this social evil, there can be no remedy for this or for the eradication of any social evil. All political parties and the public opinion must take it seriously and adopt a programme which ought to be implemented for eradicating this social evil.

I am really surprised—I do not want to offend him—Mr. Banerjee is my good friend—that in a hurry to parry the argument, he says: even though I am a communist, I am a Brahmin...

SHRI S.M. BANERJEE : I did not say that. Even though I am a Brahmin I am ready to support him. Being a Brahmin I married a Kayasth. He may not know it; I did not have a genuine ceremony.

SHRI R.D. BHANDARE : If he did not go through a genuine ceremony for wedlock, it is good...(*Interruptions.*)

DR. RANEN SEN . Mr. Bhandare should know that he is an aetheist.

SHRI R.D. BHANDARE : I am talking of what is heppening in the sub-consciousness. After all, he remembers that he is Brahmin.

I was trying to suggest that all political parties must chalk out a programme and implement it to eradicate this social evil. Let there be no lip service only to the cause.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): We are fighting.

SHRI R.D. BHANDARE : Yes, we have been fighting, I know, and yet you have the germ, the nation in your mind as to which community you belong to.

I do not want to quarrel with my hon. friend, but I was trying to suggest that a programme should be adopted by the political parties and public men, and they must have the capacity and sincerity to implement the programme to the core. Unless we have a band of social workers, it is not enough to have rousing of conscience, it is not enough to give education to the people, it is not enough to create public opinion. The band of social workers must move from place to place to eradicate this social evil.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुन लीजिये । मैंने स्पीकर साहब से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि श्रीमेन्द्र झा जी हमारी पार्टी के मेन-स्पीकर होंगे, लेकिन दो-तीन मिनट मुझे भी दिये जांय, क्योंकि मैं वहा से सम्बन्धित हूं । मेरा नाम आप के पास लिखा हुआ है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are so many others who want to speak. If I allow you, I should allow them also. We have decided to conclude at 2 O'clock.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । मैंने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि समय देंगे । तो क्या यह उचित है .

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no point of order. I am not aware of that.

The House had decided to conclude the discussion at 2 O'clock. I am responsive to the House. I realise this is the last day, this is a very emotional question, involving a ghastly story, but all the same there should be limit somewhere. If you want to revise your decision, tell me by what time it should be extended.

SHRI S.M. BANERJEE : By one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is a suggestion that it may be extended by one hour. Is that the sense of the House ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B. SHANKARANAND): Instead of extending, those who want to speak may be given two minutes each.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I take it that the sense of the House is to extend the discussion by one hour. So, we conclude at 3 O'clock. At 3 O' clock I am going to get up and say, "The House stands adjourned."

SHRI S.M. BANERJEE : I want to tell Mr. Bhandare that I do not believe in casteism. There is a saying:

खुदा के बन्दे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे-मारे,

मैं उस का बन्दा बनूंगा जिस को खुदा के बन्दों से प्यार होगा ।

That is my religion.

MR. DEPUTY-SPEAKER Mr. Shambhu Nath

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार इस पार्लियामेन्ट में हरिजनों और आदिवासियों के साथ जब-जब अत्याचार हुआ है और वह पेपर में आया है, तब-तब उस पर बहस हुई है। अभी बहुत से साथियों ने कहा कि यह हरिजनों और आदिवासियों की समस्या है, यह भूमि पर आश्रित है । भूमि एक चीज है, वह एक मामला है, उसमें हो सकता है, लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं है, उस के अलावा और भी समस्यायें हैं जिन की वजह से यह प्राबलम उठ खड़ी हुई है । यह सोशल प्राबलम है । मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से आता हूं, बनारस-जौनपुर से आता हूं । अभी आपने सुना होगा कि बनारस में बहुडा गांव में दिन-दहाड़े हरिजनों के साथ अत्याचार किया गया, घर जलाये गये, इस तरह की घटनायें हो रहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख भी होता है और गर्व भी है । गर्व इस लिए है कि आज वह हरिजन, वह आदिवासी जो हजारों वर्षों से, सदियों से गुलाम था, परतन्त्र था, उस में चेतना आई है । वह चेतना यह आई है कि आज उस में हिम्मत हो गई है, जुर्रत हो गई है कि उस को अपने हुकूक को लेना है । इस लिए आज सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में जहां कहीं भी लड़ाई होती है, वह अपना पार्ट अदा कर रहा है । मैं आज देश भर के अपने तमाम हरिजन और आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं से मरने के पीछे नहीं हटेंगे । स्वतन्त्र भारत में जब तक हम अपने हुकूक नहीं लेंगे, चुप नहीं बैठेंगे । यह चेतना हमारे हरिजनों में आई है, इसलिये मुझे खुशी है ।

14 hrs.

मगर रोना इस बात का है—रोना इस लिये नहीं है कि हरिजन मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, महिलायें बेइज्जत की जा रही हैं, रोना इस लिये है कि 24 वर्ष की आजादी में सरकार से जब कहा जाता है—चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो—जब कभी ऐसा अवसर आता है, इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो मिनिस्टर साहब—चाहे पंत जी हों या उन के पहले जो दूसरे मिनिस्टर रहे हों मिनिस्टर साहबान खड़े होकर यह जवाब देते कि जो व्यरा-क्रेट्स हैं वह चाहते है कि हमेशा हरिजन उपेक्षित रहें । सेन्टर से हमको यही जवाब मिलता है कि यह राज्य का मसला है और जब हम राज्यों से कहते हैं तो कहा जाता है कि हमने जिले में भेज दिया है । आज यहां पर बहुत से मेम्बर्स बैठे हैं वे जब अपनी कान्स्टीट्एन्सी से आते हैं तो बहुत से हरिजन आते हैं और अपनी बात कहते हैं और दर्खास्त देते हैं । उसको एस० पी० के यहां भेजते हैं तो एस०पी० लिख देता है—एस० ओ०, प्लीज एन्क्वायर एंड रिपोर्ट । अगर कलक्टर के पास भेजते हैं तो कलक्टर लिख देता है—तहसीलदार, प्लीज इंक्वायर ऐंड रिपोर्ट । लेकिन होता कुछ भी नहीं है । आये दिन इस तरह की बातें होती रहती हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस की परमानेन्ट रेमिडी क्या है ? जैसा कि भण्डारे जी ने कहा हम इसके लिए मिनिस्टर साहब से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहते हैं । अगर आप इसको ला ऐंड आर्डर प्राब्लम मानते हैं तो फिर यह डिस्कशन बन्द कर दीजिए । यहां पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है । अगर हमें जरूरत होगी, अगर हममें हिम्मत होगी तो हम ला ऐंड आर्डर को देख लेंगे नहीं तो हम बेइज्जत होंगे, हम कटेंगे मरेंगे, लेकिन हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते । लेकिन अगर आप इसको ला ऐंड आर्डर की प्राब्लम नहीं समझते हैं बल्कि इसको एक नेशनल प्राब्लम, राष्ट्रीय समस्या मानते हैं तो फिर आपको इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा । केवल लिप सिम्पैथी से काम नहीं चलेगा । मुझे यहां पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपोजीशन के लोग जब कोई दूसरा मसला होता है तो यहां बैठे रहते हैं, कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए साढ़े चार बजे तक लोक सभा की बैठक हो सकती है लेकिन जब बीस करोड़ हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा हो तो यह पार्लियामेन्ट भी नहीं बैठ सकती है और लीडर आफ दि अपोजीशन भी यहां नहीं बैठ सकते हैं । (व्यवधान) . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have a feeling that hon. Members are not very serious about this matter when each time they go on diverting into some other issues and they get into arguments with each other. It takes away attention from the main issue So, I wonder whether they are serious about it Now that we have extended the time by one hour, my table gets on being flooded with slips of members I am not going to entertain any more slips As I said just now, at 3 p.m. I am going to conclude it Even if it is in the midst of a speech of a member, at 3 p.m I am going to say that the House stands adjourned *sine die*. Since I have a long list before me I request hon Members to confine their remarks to five minutes.

श्री शम्भू नाथ : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हू कि अगर इसको आप नेशनल इश्यु समझते हैं तो कुछ न कुछ इसके लिए होना चाहिए । इसका सल्यूशन यही है कि सरकार और लीडर आफ अपोजीशन सभी मिलकर जहां कही भी कान्स्टीट्यूशन मे अमेन्डमेन्ट लाना हो उसको लाये और इस तरह का बिल लाए जिसमे यह कहने का हक न हो, जिसमे कोई टालने की बात न रह जाये कि यह तो राज्य का मामला है या जिले का मामला है बल्कि सीधे-सीधे चूंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है इसलिए केन्द्र पर इसकी सारी जिम्मेदारी हो । इस तरह का एक कानून बनाया जाये और केन्द्र से सारा नियन्त्रण किया जाये ताकि हरिजनों और आदिवासियो की समस्या सुलझ सके उनका और उत्थान हो सके ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय पूर्णिया जिले के चन्दवा-रूपसपुर गांव मे जिस प्रकार का लोमहर्षक कांड हुआ है उससे संपूर्ण देश का सिर झुक जाता है । हम लोग बार-बार इस बात की चिन्ता करते रहे यहां भी और बाहर भी कि अमरीकाशाही बंगला देश मे जिस प्रकार का कांड कर रही है यदि ठीक उसी प्रकार की बात हमारे देश के किसी कोने में हो तो यह हमारे जनतंत्र के लिए चुनौती है, हम तमाम लोगों के लिए चुनौती है ! इस बात पर सभी लोग विस्तार के साथ प्रकाश डाल चुके हैं कि किस स्थिति में वह घटना हुई । 60 बीघे जमीन का झगड़ा था । उस जमीन पर किसानो का शिकमी अधिकार था । बिहार टिनैन्सी ऐक्ट की धारा 71 के मातहत जमींदार को या भूमिपति को उस जमीन पर जाने का कोई अधिकार नही था । फिर भी जब संथाल किसान दस कट्ठे जमीन पर लगी हुई अपनी फसल काट रहे थे तो ऐसा सुना कि 150 हथियारबन्द गिरोह ने उनपर हमला किया और खदेड़-खदेड़ कर उनको मारा तथा उनके घर जला दिए और लाशो को कोसी नदी मे फेंक दिया । प्रश्न है यह घटना घटी क्या ? इसलिए घटी कि बिहार मे वहा के आर्थिक जीवन पर, वहा की जमीन पर जमींदारों का कब्जा है । 24 हजार एकड़ जमीन रखने वाले दर्जनों भूपति आज भी बिहार मे मौजूद है । उन्होंने कुछ दिनो पहले मीटिंग बुलाई और उसमे फैसला किया कि बटाईदारों का आन्दोलन हम चलने नही देंगे । वे धान की फसल स्वयं काटेंगे और उन्हे मारेंगे पीटेंगे । सभी तरह के कुकर्म और अत्याचार करेंगे । तो उसी फैसले की तहत यह अत्याचार किया गया । इस काण्ड के पहले चम्पारन जिले मे, सहरसा जिले मे, पटना जिले मे, शाहबाद जिले मे और दरभंगा इत्यादि कुछ दूसरे जिलो मे दर्जनो लोगो की हत्याये की गई । उसके बाद यह काण्ड भी 22 तारीख को हुआ । मैं इसकी तफसील मे नही जाना चाहता कि ऐसा क्यो हो रहा है । कुछ भाई कह रहे हैं कि यह सामाजिक बात है । सामाजिक पहलू हो सकता है लेकिन मुख्य बात यह है कि भूमिहीनो को, बटाईदारो को, हरिजनो और आदिवासियो को जमीन दी जाये । जब आप उनको जमीन देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उनपर कोई हमला नहीं करेगा । अगर उनपर कोई हमला करेगा तो वे हिम्मत के साथ अपना संगठन बनाकर उसका मुकाबला करेंगे । तो यह अधिकार उनको दिया जाये । सरकार इसको यह कहकर टालती रही है कि यह राज्यों का मामला है भूमि सुधार और इससम्बन्धी कानून को बनाना राज्यो का मामला है । 29 नवम्बर को यही बात राज्य मंत्री ने कही थी । तो मेरा कहना है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनायें न हों तो भूमि-सुधारक एक सेन्ट्रल ऐक्ट बनाइये । आप सिक्यूरिटी ऐक्ट बना

रहे हैं । जब कारखाने के मजदूरों के लिए सेन्ट्रल ऐक्ट बन सकता है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है ? बंगाल में इसके सिलसिले में कानून बनाये गए, केरल की सरकार ने कानून बनाए । इस प्रकार दो उदाहरण आपके सामने हैं उसी आधार पर आप यहां बिल पेश कर सकते हैं । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो काम नहीं चलेगा ।

दूसरी बात यह है कि बिहार में बड़े-बड़े जमींदारों को आपने बंदूकें दे रखी हैं उन बंदूकों को आप छीन लीजिए । इसका सम्बन्ध होम डिपार्टमेन्ट से ही है । आप पुलिस से कह कर उनसे बंदूकें छीन लीजिए । इसके अलावा जिनके परिवार मारे गए हैं उनके पुनर्वास के लिए तीन हजार रुपया आपने दिया था वह कम है, और ज्यादा रुपया दीजिए । शर्म की बात यह है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने इसमें दोषी लोगों को बचाने की कोशिश की । इसमें शामिल लोगों में श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु के पुत्र और उनके परिवार के लोग थे—यह शर्म की बात है । ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार को डिसमिस किया जाये । उसे खत्म करें । इसी वजह से बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापिस लिया है और मांग की है कि सरकार का पुनर्गठन किया जाए ।—इति

श्री समाधि चरण दास (जाजपुर) : बिहार के पूर्णिया जिले में 22 नवम्बर को 14 संथालों को मारा गया और 36 को घायल किया गया । इस कांड को लेकर सदन में चर्चा हो रही है । अखबारों में भी इस पर काफी चर्चा हुई है । यह जो कांड हुआ है यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है । कौन लोग हैं जो ये अत्याचार करते हैं ? जो बड़े लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, वे ही इन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं । ये जो घटनायें हैं ये आए दिन घटित होती रहती हैं । स्वाधीनता के इतने सालों के बाद भी इस तरह के कांड होते रहे, यह बहुत ही लज्जाजनक है । समाज के जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हरिजन लोग हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको लेकर सरकार खामोश रहेगी तो यह उसके लिए ठीक नहीं होगा । खामोशी धारण किये रहना ठीक नहीं है । क्या कारण है कि बिहार की सरकार अब तक इस बारे में कुछ नहीं बोली है । चूंकि यह मामला प्रान्तीय सरकार के अधीन आता है और वह चुप्पी साधे रहे इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । अगर इसी तरह से इन कांडों में सरकार चुप्पी साधे रहेगी तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा । जब इन पिछड़े हुए लोगों का सवाल आता है, हरिजनों और आदिवासियों का सवाल आता है, इन पर हो रहे जुल्मों का तथा अत्याचारों का सवाल आता है तब ऐसा देखा गया है कि साहूकार और सरकार दोनों एक हो जाते हैं और गरीब लोगों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं होता है । पुलिस में जो लोग होते हैं वे भी साहूकारों के ही लोग होते हैं और जो अत्याचार करते है, उनका ही पक्ष वे भी लेते हैं । साहूकार के पास जमीन है, उसके पास धन है और धन के बल पर वे लोग जो चाहते हैं वे करवा लेते हैं । पैसे के बल पर पुलिस जैसा कह देती है वैसा सरकार मान लेती है । यह सरकारी मशीनरी का सवाल है । पुलिस सरकार के पास यह रिपोर्ट भेज देती है कि गरीब लोगों ने बड़े लोगों को मारा है और इस तरह से जो दोषी व्यक्ति होते हैं वे साफ बच निकलते हैं । बेचारे गरीब उलटे फंस जाते हैं । यह कितनी लज्जाजनक बात है कि चौदह व्यक्ति इस कांड में मरे और 36 घायल हो गए । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर और किस नियोजित ढंग से यह कांड घटित हुआ है । पहले से योजना बना कर लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारने का षडयंत्र रचा गया, ऐसा मालूम देता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करती रही उस समय । वहां सरकार की अपनी पुलिस है, उसकी अपनी सी० आई० डी० है, उसका अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वे लोग क्या करते रहे इसकी भी आपको जांच करनी चाहिये ।

ये घटनाएं क्यों होती हैं, इसकी जड़ में भी आपको जाना चाहिये । जहां-जहां बटाईदार हैं, लैण्ड लाफर हैं, वहां-वहां इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं । ये आज की बात नहीं है । हमेशा से यह होता आ रहा है । हर जिले में यह होता है । हमारी जो नीति है भूमि के सम्बन्ध में उस में भी परिवर्तन आना चाहिए । अभी कहा गया है कि लैंड टू दी टिल्लर । मैं भी समझता हूं कि जमीन उसकी ही होनी चाहिए जो उस में काश्त करता है ।

[श्री धनाधि चरण दास]

"लैंड टू दी टिल्लर" जब कार्यकारी होगी तभी जो समाजवाद का नारा हमने दिया है, यह साकार हो सकेगा। जब ऐसा हो जायगा तो आप देखेंगे कि छोटे बड़े के जो झगड़े है, वे मिट जाएंगे।

श्री सत्य चरण बेसरा (दुमका) : जिस विषय पर, जिस हत्याकांड पर आज यहां चर्चा हो रही है, इस पर मैंने कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था। लेकिन मेरा नाम उस मे नही आया। बिहार मे आदिवासियों और हरिजनो पर जब इस तरह के अत्याचार होने की घटनाये हम देखते है और इनको सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हम ऐसी स्टेज पर पहुच गए हैं जब कि इन लोगो को इस मुल्क में रहने का ही अधिकार नही है। कितनी ही इस प्रकार की घटनाये आज देश मे घट रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि बिहार की सरकार बिल्कुल ही इन घटनाओ के प्रति आंखे बन्द करके बैठी हुई है और कुछ भी कार्रवाई इसके बारे मे नहीं कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले में स्वय दिलचस्पी ले, आगे भी इस तरह की घटनाये घटे तो उनमे स्वयं दिलचस्पी ले। आपको यदि यह ख्याल है कि संथाल चुपचाप इस तरह के अत्याचारो को सहते चले जायंगे तो यह आपका भ्रम है। संथाल जाति एक जटिल जाति है। अगर यह जाति एक हो जाए, इस मे एकता आ जाए, यह एक कम्युनिटी की तरह से काम करना शुरू कर दे तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने उठ खड़ी होगी और एक बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। अगर जो रवैया अब इन लोगो के प्रति चल रहा है यह कायम रहा तो वह दिन आ सकता है जब संथाल सब एक हो जाएं और तब आप के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इस वास्ते जो रवैया है, इसको पहले ही बदल देना चाहिये और संथालो आदि को भी आपको इंसान समझना चाहिये।

SHRI KUMAR MAJHI (Keonjhar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I shudder to think that in this civilised age, 14 Santhals could be killed and 36 seriously wounded in a part of our country for protecting their legitimate rights over land. Again, Sir, the House also did not pay any prompt attention to it and after repeated attempts, we are going to discuss this matter only today, in the last hour of this Session.

I come from the Santhal community. This community is a backward community. They are a very simple and an innocent people, who want to live peacefully with their neighbours. They are economically very poor. They want nothing but a piece of land to cultivate, to grow a good crop and make a living. Their simplicity is taken advantage of and they are constantly being exploited by the rich people.

The Santhals in this particular case were share-croppers who only wanted their due share of labour. But they were denied it and they were harassed, beaten and even the most heinous crime was committed, namely, this brutal murder.

This is not an isolated incident, This sort of thing has been happening all over the country and nothing is being done. The Scheduled Classes and Scheduled Tribes enjoy special privileges and protection under the Constitution. The Administration must be more vigilant where the rights of these communities are concerned. But, instead of doing that, they become partners in this crime.

I am sorry that the Bihar Government has done little in this matter. They remained callous to this heinous crime. I hereby demand an immediate inquiry by the Government of India into this incident. I do not think proper justice would be done if things are left to the Bihar Government. The culprits must be brought to book and an exemplary punishment awarded to them so that the country will be aware of this.

श्री छोटे लाल (बैल) : जिस घटना पर आज यहां बहस हो रही है ऐसी घटनायें हिन्दुस्तान में स्थान-स्थान पर होती रहती हैं और उनको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अखबारों में पढ़ते रहते हैं। उनको लेकर

और यहा उन पर बहस करके हम सतोष करके बैठ जाते है। सरकार का यह दायित्व है कि ऐसी घटनाये हिन्दुस्तान मे न घटे, इसको वह देखे। मै यह भी चाहता हू कि उनके मूल कारणो का भी अध्ययन किया जाए। जो मूल कारण है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। उस पर कुछ महानुभावो ने प्रकाश भी डाला है। जो बुनियादी मसला है वह जमीन का है। जो लोग भारतभूमि के मालिक थे, जो भूमि के स्वामी हुआ करते थे, आदिवासी या हरिजन लोग शीड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोग, जो यहा के मूल निवासी थे, आज भूमिहीन हो गए हैं। भूमि-हीन होने के कारण उनकी आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है कि बयान नही किया जा सकता है। वे बेबस हैं, मोहताज हैं, दूसरो के और कभी भी सिर ऊचा उठा कर चल नही सकते हैं, बोल नही सकते हैं। वे जब ऊचा सिर करके बोलते हैं, मजदूरी बढाने की बात करते है, जमीन मागते है तो उनका कुचल देने की बात सोची जाती है। यह बताया गया है कि जिन के पास सम्पत्ति होती है, जिन के पास जमीन होती है, उनके पास बन्दूक भी होती है, उनको बन्दूक का लाइसेंस भी मिल जाता है और बन्दूक के जोर पर वे जो चाहे करवा लेते है। यही वजह है कि हरिजनो और आदिवासियो पर आज तरह-तरह के जुल्म हो रहे है। वह सम्पत्ति उनको कैसे मिले, भूमि उनको कैसे मिले, यह आपको सोचना है। इस प्रकार के अत्याचार, अनाचार उन गरीब लोगो के ऊपर होते है जिनकी सख्या हिन्दुस्तान में 18 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है। इतने बड़े समुदाय को अगर इस देश मे कुचला जाएगा, उसको पीछे रखा जाएगा तो यह स्वप्न और यह दावा कि हम दूसरे मुल्को के बराबर पहुचेगे और जो सम्पन्न देश है, उन के भी आगे बढ़ेंगे, दुनिया के बड़े देशो का मुकाबला करेंगे, कैसे पूरा हो सकता है। इतने बड़े जन-समुदाय की इस देश में उपेक्षा की जाती है, उनके मौलिक अधिकारो का हनन किया जाता है। जमीन एक प्राकृतिक चीज है। जिस देश मे हमने जन्म लिया, उसमे हम भूमिहीन रहें, यह एक अन्याय की बात है। जब हवा और सूर्य की रोशनी आदि प्राकृतिक चीजों पर हम सब का बराबर का अधिकार है और वे सब को बराबर मिलती तो फिर क्या वजह है कि भारत-भूमि मे पैदा हुए इन अठारह बीस करोड हरिजन-आदिवासियो को जमीन पर कोई हक न मिले ?

जमीन का मसला हल करने में कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन एक काम सरकार तुरन्त कर सकती है। देहात में जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, उनकी वही पुरानी मजदूरी, अर्थात् चार पाच पौवा, चली आ रही है। उससे भूमिहीन का गुजर नही हो सकता है। मजबूर हो कर उस की धर्मपत्नी को भी, जो कल विदा हो कर आई है, खेत मे जाना पड़ता है। इस प्रकार इन लोगों के प्रति अनाचार और अत्याचार होते है उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। इसको बन्द करना और उन लोगो की आर्थिक दशा को सुधारना बहुत जरूरी है, वर्ना जो चिंगारी पूर्व की तरफ से उठी है, वह पूरे हिन्दुस्तान को भस्म कर देगी।

श्रीमती इन्दिरा गाधी के समाजवाद के नारे और पब्लिक को आनन्द भवन दे देने से प्रभावित और प्रेरित हो कर देश की जनता उन के इशारे पर नाच उठी है और उनके पक्ष में इतना बड़ा बहुमत आया है। आज उनको सविधान मे सशोधन करने का अधिकार है। देश को इतने बड़े जनसमुदाय की तरफ, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जो देश का नेगलेक्टिड वर्ग है, आज तक कोई ध्यान नही दिया गया है। उसकी मजदूरी तुरन्त बढ़ाई जाये। तमाम मजदूरो की मजदूरी बढ़ाने के लिए समय-समय पर वेज बोर्ड बिठाये गये और खान मे काम करने वालो और अन्य उद्योगो में काम करने वालो की मजदूरी बढ़ाई गई। लेकिन जब खेत मे काम करने वालों की मजदूरी बढ़ाने का प्रश्न आता है, तो कहा जाता है कि वह अन-आर्गनाइज्ड लेबर है। उनका आर्गनाइजेशन क्यो नही बन पाया ? उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक काम मे लगे रहते हैं और उनको अपनी कोई आर्गनाइजेशन बनाने का कोई मौका नहीं मिलता है। इस लिए यह बहुत जरूरी है कि उनकी मजदूरी को बढ़ाने के लिए तुरन्त एक वेज बोर्ड बिठाया जाये और उनकी आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाये।

मै आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए एक पार्लियामेन्टरी कमेटी बना कर इसको आपस डिसकशन का मौका दिया है। यह तो एक रोना है, फर्ज-अदायगी है। इस से समस्याओं का समाधान हो सके, यह बड़ा मुश्किल है। यह मामला सूबा बिहार के किसी पर्टिकुलर गांव का नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान का है। यह तो ऐसा है कि "हमने रो रो कर टब भर दिये वे आये और नहा कर चल दिये"। हम तो रोते हैं और वे नहा कर चल देते हैं।

जहां तक "गरीबी हटाओ" आन्दोलन का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि अगर गरीब नहीं रहेंगे, तो कैसे चलेगा—अगर अछूत नहीं रहेंगे, तो सवर्णों का कैसे कल्याण होगा ? मैं समझता हूं कि यह रोना फिजूल है। इस रोने से कोई समस्या हल होगी, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि "किसी तरह न गई अब चमन की तारीकी, लगा ली आग नशेमन में रौशनी के लिए"। मैं आप के माध्यम से हाउस के तमाम आनरेबल मैम्बरों से कहना चाहता हूं कि यह मामला सिर्फ सरकार का नहीं है। यह मामला तथा कथित उच्च जातियों का है। वे लोग चाहे विरोधी पार्टियों से हों और चाहे हमारी पार्टी में, उन सबका मकसद है इन वर्गों को दबा कर रखना। जब तक ये दब नहीं रहेंगे, तब तक उन का काम होने वाला नहीं है।

लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि "गरीबी हटाओ" के साथ "गरीबी बांटो" भी जोड़ दिया जाये। हम यह आन्दोलन नहीं करते कि अमीरी बांटो। हम कहते हैं कि गरीबी बांटो, समस्याओं को बांटो, इन सामाजिक बन्धनों को ढीला करो। यह कैसे होगा ? ये समस्यायें गांवों से उठती हैं। वहां पर बड़े-बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, जहां पर जातीय अभिमान, स्वाभिमान, परम्परागत मान्यतायें कायम हैं। इस हालत में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्यायें हल होना नामुमकिन है। अगर मैं कहता हूं कि "मंजिल मिले न मिले, इसका गम नहीं मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है," और "कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे"।

बंगला देश का मामला तो हल हो गया—वह आज़ाद हो गया। लेकिन इस देश के जन्म-जन्म से दबे, कुचले शोषित समाज को, जिसे अछूत कहा जाता है और जो इस राष्ट्र का असली समाज है, बांध दिया गया है, कान्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद 335 से—एफिशेन्सी आफ एडमिनिस्ट्रेशन की शर्त से। जब तक इस में सुधार करने के लिए संविधान का 29वां संशोधन नहीं पेश किया जायेगा, तब तक इस समाज की समस्याओं का हल नामुमकिन है। कहा जाता है कि इन वर्गों के लोग सरकारी पदों के लिए सूटेबल नहीं हैं। जब तक इन के अफसर नहीं बिठाये जायेंगे तब तक इन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ?

जमीन के बारे में यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन जमीन किस के कब्जे में है ? इस तरफ और उस तरफ के बड़े लोगों के कब्जे में है। पार्लियामेंट के मेम्बर माफ करेंगे कुछ लोगों को छोड़ कर यह मामला सबका है और ये लोग जान-बूझ कर इस मामले को उलझाये हुए हैं और हरिजन-आदिवासियों को परेशानी में डाले हुए हैं।

श्री साधुराम (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के सामने यह मसला है कि बिहार में कुछ सन्थालों को मारा गया। यह किसी एक स्टेट में नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई दूसरी जगह ऐसे वाकयात हुए हैं। हम लोग बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट से इस समस्या का हल निकालने के लिए अपील करते हैं। और पार्लियामेंट में रोना रोते हैं। 518 सदस्यों के हाउस में 115 मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और वे सब यही रोना रोते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर चाहे अपोजीशन के हों और चाहे गवर्नमेंट बैंचिज के, उन सब का दुख एक ही है। आज इस देश में बीस करोड़ लोगों के साथ इनजस्टिस और बेइन्साफी हो रही है। क्या इस देश में माइनारिटी कम्युनिटी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का बहाना करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स बहाना करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और इन बहानों में देश के बीस करोड़ लोग पिसे जा रहे हैं। इस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में आखिरी फैसला करना होगा। अगर यह फैसला नहीं

कर सकती है, तो इस पार्लियामेंट के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के मैम्बर मिल कर इस कांस्टीट्यूशन में एक एमेंडमेंट लायें और इस को बदल दें, क्योंकि इस से माइनारिटीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है।

पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों से हिन्दुस्तान को जो खतरा है, वह बड़ा नहीं है। हिन्दुस्तान में अन्दरूनी खतरा है कि बीस करोड़ आदमियों को गुलाम बनाया हुआ है, उनको मारपीट करके रखा जाता है, तरह-तरह के अत्याचार उन पर किए जाते हैं। आज बिहार गवर्नमेंट को क्या सैंटर हटा नहीं सकती, जहां इतना बड़ा जुल्म हुआ? क्या जिस स्टेट में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज पर इतना जुल्म होता है, उसको सैंट्रल गवर्नमेंट हटा नहीं सकती, क्या उनका जवाब तलब नहीं हो सकता? मैं कहता हूं कि उनका क्या नहीं हो सकता। इसके कोई मानी नहीं हैं कि यह स्टेट का सबजैक्ट है। न यह स्टेट का सबजैक्ट है और न यह सैंटर का सबजैक्ट है, अगर ऐसा ही रहा तो जिनको तकलीफ है वे खुद अपना बना लेंगे और स्वयं ही उस सबजैक्ट को निपटा लेंगे। हिन्दुस्तान में ऐसी गवर्नमेंट डैमोक्रेसी की है तो हम इसके साथ हैं लेकिन दूसरे भाई जो शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के वोटों से जीत कर आते हैं वे चाहे किसी दूसरी जाति के हों, वे इसकी परवाह नहीं करते। मर गए हैं चौदह संथाल तो क्या हुआ? बंगाल में लाखों आदमी मर गए हैं। हम भी यह महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरह से वे मारे जाते हैं और उन के ऊपर जुल्म होता है, उसको हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने सभी साथियों और भाइयों से अर्ज करता हूं, हर पार्टी का यह मकसद होना चाहिये कि इस कांस्टीट्यूशन में तबदीली करके माइनोरिटी कम्युनिटी और वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए कोई मजबूत कानून बनाया जाए। जो सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। आज भारत में 28 वां कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल पास होता है लेकिन करोड़ों आदमियों के असली को मैंशनल प्राब्लेम नहीं समझा जाता है और इसको ऐसे ही टाल दिया जाता है। हम प्रधान मंत्री और गवर्नमेंट का आदर सत्कार करते हैं और उनके साथ हैं इसलिए कि हमारे यहां डैमोक्रेसी है लेकिन अगर इस डैमोक्रेसी में भी हमारी तकलीफों को दूर नहीं किया गया तो यही होगा कि लोग उठें, इकट्ठा हो जाएं और हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन में तबदीली ला कर यह छुआछूत वगैरह के जितने झगड़े हैं, इनको दूर करें। मैं कांस्टीट्यूशन का एमेंडमेंट चाहता हूं और गवर्नमेंट को ऐसा अमेंडमेंट बिल पेश करना चाहिये। अगर गवर्नमेंट यह नहीं करती है तो इसका फोरम बना हुआ है, वह फोरम ही उस कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट को आज ले आएं। बिहार गवर्नमेंट के लिए एक ही मुतालबा हम करते हैं कि उस को भी सजा दी जाए जहां पर यह जुल्म हुआ है। अगर सैंटर इस के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं तो हम रिजैंटमेंट जाहिर करेंगे। जब पार्लियामेंट में, देश की इतनी बड़ी संख्या के तकलीफ में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि बिहार गवर्नमेंट ही सब से बड़ी है और वही भारत की कर्ता-धर्ता है। हम बिहार गवर्नमेंट को हटाने का मुतालबा करते हैं और कांस्टीट्यूशन की एमेंडमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं अपने सब भाइयों से चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। सब इस बात की कोशिश करें कि यह एमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में करके इस चीज को भारत से मिटा दिया जाए वर्ना इससे छुटकारा होना मुश्किल है।

श्रीमती मिनिमाता अगमदास (जांजगीर) : बिहार में संथालों के साथ जो अत्याचार हुआ है ऐसी घटनायें बहुत सी जगहों में होती हैं, यह हम मानते हैं किन्तु क्या कारण है कि आजादी के बाद 24 साल हो जाने पर भी हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर हमारी केन्द्रीय सरकार के इतनी मेहरबानी करने के बावजूद भी, उनकी तरक्की और विकास के लिए सारे प्रयत्न करने के बाद भी, उनके ऊपर इतने अत्याचार अभी भी हो रहे हैं, दिन रात उनकी बेइज्जती हो रही है, इसका कारण केन्द्रीय सरकार का ढीला होना, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ही इनके विकास के लिए जिम्मेदार है। मैं आग्रह करती हूं कि जितने भी प्रदेशों में इस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, उनके लिए एक ऐसी कमेटी बनाए जो इसकी खोज करे कि क्या कारण है कि ये सामाजिक बुराइयां आज तक नहीं हटी हैं और हरिजन तथा आदिवासियों की हत्या होती जा रही है। इसलिए मैंने एक दिन यहां कहा था कि आजादी के बाद जितने आदिवासियों और हरिजनों की हत्या हुई है, उसकी पूर्ति

[श्रीमती मिनिमाता अगमदास]
करने के लिए हम शासन का जो परिवार नियोजन है उसको नही मानेंगे और हरिजन, आदिवासी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें जिससे वह कमी इधर पूरी हो जाए।

दूसरी बात, हम को इस तरह से बेइज्जती करके मारने के बजाय शासन हम को उत्साहित करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हमारे हरिजन आदिवासी ज्यादा से ज्यादा फौज मे भरती हो और हम भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। तीसरी बात यह है कि इसका सिर्फ रोना है, न इस मे कानून बन सकता है, न हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इस तरह की चीज हट सके। अभी मुगली कांड हुआ था दो साल पहले। उस में कुछ भी नही हुआ और फिर 6 हरिजन और मार दिये गए, चिन दहाड़े काटे गए, उस मे भी जितने पकड़े गए थे वे सब छूट गए। उसके बाद डा० जाजौरिया का लड़का एस०डी०ओ० बन कर गया था, उसको दो तीन हजार आदमियों ने घेर लिया, मारा पीटा शीशे तोड़े और जो लोग पकड़े गए थे वे भी सब छूट गए। इससे आदिवासियों और हरिजनों के मन में और भी डर पैदा हो जाता है कि हमारी कोई सुनवाई नही होनी है। यहा तक होता है कि वे मारे जाते हैं तो गवाही देने के लिए भी कोई उपस्थित नही होता है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हू कि इस तरह के काड मे महिलाओ के साथ अत्याचार जुटा रहता है, उनको बेवस्त्र करते हैं, उनके साथ हर तरह का अत्याचार करते है, उन्हें मारते हैं, पीटते है, उनके लिए केन्द्र कानून बनाए कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके दोनों हाथ और नाक काट कर जीवन भर उनको ऐसे ही छोड दिया जाए।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : पूर्णिया जिले में आदिवासियों के साथ जो घटना घटी उसकी चर्चा भी भयावह है। हम उसकी निन्दा करते हैं। यह लज्जाजनक घटना है। अगर आज के समाज में ऐसी घटना घटती है तो यह मानवता के नाम पर कलंक ही माना जायगा। मुझे संक्षेप मे इसके कारणों पर प्रकाश डालना है कि ऐसा क्यो होने दिया जाता है। यह बिहार सरकार का काम था कि उसको बारीकी से देखती और उसके कारणों का पता लगाती और उस पर उचित व्यवस्था करती ताकि लोगों के मन मे सन्तोष की भावना पैदा होती। अभी प्रधान मंत्री महोदय ने इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है और लोगो को अपने भाषण के माध्यम से सन्तोष दिया है। मेरा विश्वास है कि लोगो का जरूर सन्तोष हुआ होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी कि वह उसकी जांच करे और उचित कार्रवाई करे ताकि लोगो का सन्तोष हो और उनके अन्दर जो आक्रोश की भावना पैदा हो गई है, वह शान्त हो। यह तात्कालिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा एक प्वाइंट मैं और कहूगा कि हम स्थायी तौर पर भी इस प्रकार की घटनाओ की रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिये। ये घटनायें क्यों घटती हैं माननीय सदस्यो ने कहा कि जातीयता ही ऐसी घटनाओं का कारण है मेरा उसमे कुछ विभेद नहीं, यह कारण भी हो सकता है लेकिन मैं कुछ और उस मे जोडना चाहता हू कि जातीयता से बढ कर धन की असमानता ही इसका विशेष कारण है। ऐसी घटनायें धन के नाम पर ही घटित होती हैं। धन में कृषि समानता नही है इसलिए समाज मे ऐसी घटनायें होती हैं। इसलिए हमने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया है देश को और कहा है कि हम देश को समाजवाद की ओर ले जा रहे हैं, धन का बटवारा होगा उसको कार्यरूप मे हमे परिणत करना होगा। माननीय सदस्यो ने कहा कि गरीबी का बटवारा हो वह सही चीज है और जब तक यह नही होगा है तब तक ये बातें समाज मे होती ही रहेंगी। अगर ये होती रही तो हमारी सभी कल्पनायें, सभी आदर्श बेकार साबित हो जायेंगे। मेरा आग्रह है कि संसदीय सदस्यो की एक समिति बने जो इन घटनाओ के मौलिक कारणो और साइकोलोजिकल कारणो की जाच करे और उनके निवारण के लिए अपने सुझाव दे। उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करे तो मैं समझता हू कि लोगो के दिल में जो असंतोष और आक्रोश की भावना है वह दूर हो जाएगी और हमारे सुन्दर समाज की कल्पना साकार हो सकेगी।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F.H. MOHSIN) : I have heard Shri Kartik Oraon and many other Members of this House who have spoken on this subject with instense feelings. I can very well understand the depth of their feelings. There is no doubt that this incident is a very ghastly one,

I can even say most inhuman and barbarous. We can use even more harsh words, after hearing the whole story, how it happened. Government has expressed grave concern. After hearing about this incident, the Minister of State came to the House with a statement and he has expressed grave concern of Government over this incident. The Prime Minister came back to this House and expressed her sorrow and shock when she heard about the details of the incident, and she has also assured the House that proper steps will be taken to see that the investigation is properly carried out. That itself shows how seriously the Government have viewed this problem.

I might give the details of the incident for the benefit of the Members who were not present when the statement was made by the Minister of State. According to the information received from the State Government, a plot of land situated in village Rupaspur was the cause of dispute. This plot had been cultivated by one Kandon Murmu of Santhal Tola. At about 3.30 P.M. on 22nd November a mob of about 150 persons armed with bows, arrows, bhalas, garasas etc., came to the plot and began cutting unripe paddy. Some of the persons were keeping guard when the paddy was being cut. When the few Santhals who lived close by approached the plot in dispute, they were chased away by the mob. The mob then came over to the Santhal Tola and was joined by another mob armed with guns and accompanied by tractors, trailers and station wagons. The two mobs surrounded the Santhal Tola, locked the houses from outside and set fire to them. In all, 45 houses were burnt. Those who tried to escape were shot at. Injuries were also inflicted by garasas and other weapons. Some of the dead bodies of those who were killed were whisked away in tractors.

According to the information available from the State Government, four dead bodies were recovered from the houses and ten from the Kosi river bank. Besides, 33 persons received injuries as a result of this attack.

SHRI KARTIK ORAON : Thirty four.

SHRI F. H. MOHSIN : Criminal cases have been registered in connection with the incident. In all, 29 persons have been named in the First Information in Report lodged by the Santhals. According to information received this morning from the State Government, 65 persons were arrested in this connection. Warrants and processes under the Criminal Procedure Code have been taken out against the absconding accused and investigations are in progress. The Chief Minister of Bihar visited the village on receipt of the information regarding the incident.

SHRI KARTIK ORAON : He visited on the 26th, November, 1971.

SHRI F.H. MOHSIN : Senior police officers also camped in the area and took necessary steps to maintain peace and prevent recurrence of trouble.

Mr. Bhandare enquired about the suspension of officers. The Deputy Superintendent of Police and the Block Development Officer concerned have been kept under suspension. The investigation is being pursued vigorously under the charge of an officer who himself belongs to a scheduled tribe. His name is also Oraon—not Kartik Oraon but B. Oraon. A senior officer attached to the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes visited the area and was satisfied with the investigations being carried on.

Standing paddy crops belonging to different absconding persons over 200 acres of land have been attached. The police is getting the crop harvested. 11 houses belonging to absconding persons have

[SHRI F. H. Mohsin]

also been attached. 2 persons have surrendered their guns and show-cause-notices have been served on 15 more persons to surrender their guns. One Ambassador car, one jeep and one station wagon and three tractor trailers have been seized in connection with the incident.

SHRI S. M. BANERJEE : Who were the owners of these cars ?

SHRI F. H. MOHSIN: The station wagon and Ambassador car belong to Shri Ram Adhar Singh. Out of three tractor trailers, one belongs to Shri Sudhir Singh, another to Shri Sia Ram Singh and the third to Shri Baldev Choudhury. Shri Sidhansu, former Speaker of the Bihar Assembly has also been arrested. He was granted bail by the sessions court.

AN HON. MEMBER : Why ?

SHRI SADHU RAM : That is the fault of the police.

SHRI F.H. MOHSIN : I appeal to member to know our limitations. When the matter goes to court and the court gives bail, can we interfere ?

SHRI S. M. BANERJEE : The court is not free from casteism.

SHRI F. H. MOHSIN : A warrant of arrest has been issued against Shri Pradumman Singh, son of the former Speaker. He is absconding and efforts are being made to arrest him.

These are the steps that have been taken. The investigation is progressing very well. There is no cause for any doubt for suspecting that the case will be hushed up or somebody will be left out. There may be influential persons, but Government will not yield to any kind of pressure. The Prime Minister has already stated that if need be, central assistance or the assistance of the CBI may be given. But we cannot do so at our own instance. It has to be requested by the State Government or the State Government should agree to it. Anyway, if we have any doubt about the progress of the investigation we will take all steps which are at our command.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What about the rehabilitation of the adibasi tribals?

SHRI F. H. MOHSIN : A sum of Rs. 3,000 has been so far disbursed for the relief of the victims of the fire. If any more relief is needed, that also will be given.

SHRI KARTIK ORAON : As a good gesture, let something flow from the Prime Minister's Fund.

SHRI F. H. MOHSIN : It is a good suggestion. I will pass it on to the Prime Minister. On a request from Shri Bibuthi Mishra, the Prime Minister has agreed to send the Minister of State for Home Affairs to the area. That shows the seriousness with which the Central Government has viewed this problem. Every effort will be made to see that the investigation is carried on to the satisfaction of the members.

There is the Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes which can also go into the problem.

Here I would request hon. Members to bear in mind one aspect. It is a very delicate issue for the Centre to intervene in a matter which is a State subject. We have discussed this question of Centre-State relations many a time in this House and members have expressed the view that the Centre should exercise less and less powers and not more powers. The State Governments are also asking for more powers and less intervention by the Central Government. In such a situation it will be very difficult for the Central Government to intervene in a subject in which the State Government is directly concerned.

Though this particular incident happens to be against the Scheduled Tribes, it is a part of the larger problem of landlord verses tenant, zamindars versus tenants. Since the Central and State Governments have taken steps to implement agrarian policies and land reforms we have been hearing such incidents not only in one or two States but throughout the country. Many a time such disputes culminate in murders or setting fire to the houses. We have heard of many such instances and I am not denying the details given by hon. Members. This is a problem facing the whole country. When the landlords stand to lose some of their property they take recourse to such methods, which is deplorable.

I appeal to the people at large to ensure that a peaceful transformation towards a socialist society takes place. I do not approve of the steps proposed by my CPI or CPM friends. We believe in the peaceful transformation of the country into a socialist society.

Not that violent steps would have to be taken to see that socialism comes into being. We believe in peaceful methods; we believe in democratic methods. We do not approve of killings either by the landlords or by the tenants. At the same time, I may caution the landlords who may be affected by land reforms to see that land reforms policies of the Government are implemented in full. Otherwise they may be victims of my friends here, the C.P.M. people and the Naxalites or such other people. I do not think such a situation will arise.

This is a problem on which the whole country has to share concern. The Government is very much concerned about it, about the problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As has been said, it is a very sorrowful thing to see that even after 25 years of Independence, such atrocities are being committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in various parts of the country.

Many persons have proposed an amendment of the Constitution. The Constitution already provides for the eradication of untouchability. There are various Acts making it an offence. This malady cannot be removed by legislation alone or by the amendment of the Constitution alone. We have to go into the root cause of the problem. So, unless the people change their minds, unless they change their hearts, unless they change their actions also, so that we can live like brothers, this problem cannot be solved. Of course, we will not be wanting in that. If legislation can cure these ills, we shall certainly come forward with it.

श्री साधुराम : हृदय परिवर्तन से ही नहीं होगा, कानून से भी होना चाहिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : ठीक है, कानून से भी होना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : लोगों का हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। जिनका नहीं होता है उनका जबर्दस्ती करना पड़ेगा।

SHRI F. H. MOHSIN: Mr. Banerjee must understand that it is not through law alone that we can change the minds of the people.

SHRI S. M. BANERJEE : Ultimately, when the Constitution was amended the *Maharajas* also realised that they are not *Maharajas*. You have to do it today or tomorrow.

SHRI F. H. MOHSIN : It may help to remedy some of the ailments. But it is not the only cure.

[*Shri* F H. Mohsin]

Then, Swami Brahmanandji made comments over the scriptures I do not want to go into that He also said that there should be distribution of wealth That is exactly what the Government is doing Ushering in a new society, that is, a socialistic pattern of society, means distribution of wealth We do not want concentration of wealth in a few hands It is true that concentration of wealth in a few hands causes all these troubles This will not happen if the socialistic pattern of society comes into being Let us all strive for that Let us see that this incident shall be the last and that such incidents do not recur in future

Sir, my personal sympathies and the sympathies of the Government are with those who have been killed and who have been injured I appeal to the House to take this in the right perspective and seek the cooperation of all political parties of all the important persons in the country to see that such incidents do not recur in future

MR DEPUTY SPEAKER The House stands adjourned *sine die*

15 00 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die

MGIPRRND—Sec II(Day Shift)—15 1 SS/71